

# संकल्प

ई-पत्रिका प्रथम संस्करण

अंक : 11

वर्ष : 2020-21



स्काई ग्लास ब्रिज  
राजगीर, बिहार



क्षेत्रीय कार्यालय :

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-8000 001



कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष क्षेत्रीय कार्यालय ,  
पटना ( बिहार ) एसिक परिवार की ओर से ई -पत्रिका  
का प्रकाशन किया गया है ।

इस पत्रिका का यह ग्यारहवा अंक है , जो प्रथम ई-पत्रिका  
के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है .....

संपादक मंडल





## एसिक स्थापना दिवस – 2021



## 8 मार्च 2021 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह



## संपादक मंडल

वर्ष-2020-2021

अंक : 11

संरक्षक

श्री सत्यजीत कुमार  
क्षेत्रीय निदेशक

संपादक

श्री प्रमोद कुमार निराला  
सहायक निदेशक (राजभाषा)

कार्यकारी संपादक

श्रीमती श्वेता सिन्हा  
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

उप संपादक

श्रीमती मालविका  
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

ई-पत्रिका संपादन सहयोग

श्री बिजेन्द्र कुमार  
आई.टी.सहायक

प्रकाशक :

राजभाषा शाखा  
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त तथ्य एवं विचार रचनाकारों के अपने विचार हैं। इनसे सम्पादकीय अथवा विभागीय सहमति आवश्यक नहीं है।  
(केवल निःशुल्क विभागीय परिचालन हेतु)

क.रा.बी.नि.  
चिंता से मुक्ति



अनुराधा प्रसाद  
महानिदेशक



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002  
PANCHDEEP SHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002  
WEBSITE : www.esic.nic.in • www.esic.india.org

संख्या : ए-49/17/1/2016-रा. भा.

दिनांक : 28.01.2021

### संदेश

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा गृहपत्रिका 'संकल्प' के ग्यारहवें अंक का प्रकाशन निश्चय ही हर्ष की बात है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नीतियों को क्षेत्र के बीमित व्यक्तियों तक पहुँचाने में राजभाषा हिंदी का योगदान अतुलनीय है। गृहपत्रिका का प्रकाशन कर्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा को तो बढ़ाता ही है, साथ ही कार्यालय की विविध गतिविधियों को भी समेकित रूप प्रदान करने हेतु मंच उपलब्ध करवाता है। आशा करता हूँ कि यह पत्रिका अपने उद्देश्य में सफल रहेगी तथा इसकी अनवरत यात्रा यँ ही चलती रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

*अनुराधा प्रसाद*

(अनुराधा प्रसाद)

श्री सत्यजीत कुमार  
क्षेत्रीय निदेशक  
क्षेत्रीय कार्यालय  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
पटना



क.रा.बी.नि.  
चिंता से मुक्ति



मनोज कुमार शर्मा  
बीमा आयुक्त (राजभाषा)



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002  
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002  
WEBSITE : www.esic.nic.in \* www.esic.india.org

संख्या : ए-49/17/1/2016-रा.भा.

दिनांक : 28.01.2021

### संदेश

जानकर अत्यंत खुशी हुई कि क्षेत्रीय कार्यालय, पटना अपनी गृहपत्रिका 'संकल्प' के ग्यारहवें अंक का प्रकाशन शीघ्र ही करने जा रहा है। यह सही है कि पत्रिका का प्रकाशन कर्मियों के सामूहिक प्रयासों का फल होता है तथा यह कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रति एक सकारात्मक माहौल तैयार करता है। आशा है कि पत्रिका में संगठन से संबंधित जानकारियां शामिल की जाएंगी तथा कर्मियों को भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित,

  
(मनोज कुमार शर्मा)

श्री सत्यजीत कुमार  
क्षेत्रीय निदेशक  
क्षेत्रीय कार्यालय  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
पटना




## संरक्षक की कलम से . . .

हिंदी हमारे देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को जोड़कर रखे रहने का सूत्र है। इसने न केवल हमें स्वतन्त्रता दिलाने में एक संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि आज भी अधिकांश भारतीयों की भाषा है। संविधान द्वारा इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है जबकि व्यावहारिक तौर पर यह एक सर्वमान्य राष्ट्रभाषा ही है।

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के 'क' क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने कामकाज हिंदी में करने के साथ-साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु विभागों में गृहपत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अधिकारियों/कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा के साथ-साथ हिंदी के प्रति उनकी रुचि भी जागती है।

हमारी गृहपत्रिका 'संकल्प' ने 10 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है और आपके समक्ष इसका 11वां अंक प्रस्तुत है। आशा है कि कार्यालय की कार्यशैली के साथ ही राजभाषा नियम आदि एवं कविताएँ, कहानी, संस्मरण समाहित किए हुए यह अंक आपको पसंद आएगा।

अगले अंक को बेहतर बनाने हेतु आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहेगी।

  
सत्यजीत कुमार  
क्षेत्रीय निदेशक





### सम्पादक की कलम से --

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना की गृह पत्रिका 'संकल्प' का ग्यारहवां अंक हिंदी की समृद्ध विरासत को नए क्षितिज की ओर ले जाने की दिशा में एक विनम्र प्रयास है. हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का अंग एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया. हिंदी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने का माध्यम भी है. राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करना एक प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन ही नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व का निर्वहन करना भी है. भाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है और राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार उसकी भाषा में प्रतिबिंबित होते हैं. हिंदी राष्ट्रीय एकता और आत्मीयता का प्रतीक है. अनेकता में एकता एवं वैविध्यपूर्ण भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की संवाहिका के रूप में हिंदी का विशेष महत्त्व है. वैश्विक स्तर पर आज यह चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद दुनिया की सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है.

इस पत्रिका के माध्यम से इस कार्यालय की विभागीय गतिविधियों और उपलब्धियों को आप लोगों तक पहुंचाने का यह एक विनम्र प्रयास है. इसके प्रकाशन से एक ओर हमें भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में एक सार्थक प्रयास करने का अवसर मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर कार्यालय के प्रतिभाशाली अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के साथ ही अतिथि रचनाकारों को अपनी सृजनात्मकता को पुष्पित और पल्लवित करने का सुअवसर मिलेगा. इस अंक में विविध प्रकार की रचनाओं को शामिल कर इसे रोचक बनाने का प्रयास किया गया है.

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 'संकल्प' के इस अंक का स्वागत उत्साह व खुशी से करेंगे. सभी सुधि पाठकों के सुझाव और प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी, ताकि भविष्य में यह पत्रिका और भी रोचक, संग्रहणीय और ज्ञानवर्धक बन सके.

शुभकामनाओं सहित -----

प्रमोद कुमार निराला  
सहायक निदेशक (राजभाषा)



## अनुक्रमणिका

संसदीय राजभाषा समिति	
वर्ष 2020 और बिहटा अस्पताल का बदलता स्वरूप	<b>सत्यजीत कुमार</b> क्षेत्रीय निदेशक
राजभाषा नीति का अनुपालन : व्यावहारिक कठिनाईयां एवं निदान	<b>प्रमोद कुमार निराला</b> सहायक निदेशक (राजभाषा)
खूनी होली (कविता)	<b>मालविका</b>
राजभाषा अधिनियम की धारा (3)3	
एक शहीद की व्यथा (कविता)	<b>श्वेता सिन्हा</b>
क्षेत्रीय कार्यालयपटना में राजभाषा पखवाड़ा तथा , हिंदी दिवस समारोह के आयोजन की रिपोर्ट	
नेवते की साड़ी	<b>प्रमोद श्रीवास्तव</b> भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक
प्यारी माँ	<b>राजीव कुमार</b>
कोरोना और जीवन एवं कोरोना और श्रमिक (कविता)	<b>बिजेन्द्र कुमार</b>
श्रमेव जयते	<b>अश्वनी कुमार</b>
नारी तू महान है (कविता)	<b>राजीव कुमार</b>
आस्था	<b>मालविका</b>
कोरोना संकट (19-कोविड)	<b>अमरदीप चंद्रवंशी</b>
प्रकृति से पंगा	<b>अश्वनी कुमार</b>
दहेज़ का दंश (कविता)	<b>शालिनी कुमारी</b>
खजाने की खोज	<b>अजय कुमार</b>
घाव	<b>मालविका</b>
राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता	
बहुत याद आते हो तुम	<b>जागृति सिन्हा</b>
गरीबी उन्मूलन	<b>रमेश प्रसाद गुप्ता</b>
अनुभूति	<b>जयंत कुमार</b>
जिन्दगी	<b>आकांक्षा</b>
हाय कोरोना	<b>स्वाति गुप्ता</b>
अभिज्ञानशाकुन्तलम का चतुर्थ अंक	<b>अनिल कुमार</b>
भ्रूणहत्या	<b>मालविका</b>

## संसदीय राजभाषा समिति

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि (26 जनवरी, 1965) के दस वर्ष बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संकल्प पारित कर संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें से 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। इस समिति को संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करना होगा एवं उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना होगा।

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में जनवरी, 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इसके 30 सदस्य हैं जिनमें 10-10 सदस्यों की तीन उप समितियां हैं। उनके निरीक्षण के लिए अलग-अलग मंत्रालय, विभाग विनिर्दिष्ट किए गए हैं। गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और एक वरिष्ठ सांसद इसके उपाध्यक्ष चुने जाते हैं।

इस समिति का सचिवालय अन्य संसदीय समितियों की तरह लोकसभा के अधीन नहीं होता बल्कि यह बिल्कुल अलग है। यह समिति भारत की एकमात्र ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। वस्तुतः यह एक मिनी संसद है। इसके सदस्य राजभाषा हिंदी के वैधानिक पक्षों के विशेषज्ञ होते हैं। समिति की गरिमा, इसकी सजगता और राजभाषा हिंदी के प्रसार के लिए इसकी सक्रियता निश्चित रूप से हिंदी के प्रयोग के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने का जो उल्लेखनीय कार्य इस समिति ने किया है उसे अब तक जारी कोई नियम, अधिनियम नहीं कर पाया है।

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण को बहुत ही गम्भीरता से एवं सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। यह समिति अपने सुझावों और निर्देशों से हिंदी के प्रयोग में व्याप्त जड़ता को तोड़ने में मदद करती है। निरीक्षण के पूर्व ही इससे सम्बंधित प्रश्नावली सही सही आंकड़े दर्शाते हुए पूर्ण रूप से भर लेना चाहिए। सभी जानकारीयां सटीक एवं तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। साथ ही निरीक्षण कक्ष भी समिति की गरिमा के अनुकूल होना चाहिए और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

समिति ने क०रा०बी० निगम के विभिन्न निरीक्षणों के दौरान निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया है:-

1. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना शत प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाना।
2. नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त ऐसे पत्र, जिनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित न हो, उनकी पावती भेजी जाए।
3. कार्यालय की वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी किया जाए।
4. सभी अधिकारियों, अनुभागों को अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश/ शब्दावली वितरित की जाए।
5. कार्यालय में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा दी जाए।
6. 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त सभी अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएँ।
7. टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण पूरा किया जाए।
8. हिंदी पुस्तकों की खरीद पर पुस्तक बजट का 50% खर्च किया जाए।
9. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में समान अंतराल पर आयोजित की जाएं।
10. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किए जाएँ।
11. विज्ञापन एवं प्रचार पर किए गए कुल व्यय का 50% व्यय हिंदी विज्ञापनों पर किया जाए।
12. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाएँ।
13. पूरा काम हिंदी में करने के लिए अधिक से अधिक अनुभाग विनिर्दिष्ट किए जाएं।
14. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना शत प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए नियम 8(4) के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं।

\*\*\*\*\*





## वर्ष 2020 और बिहटा अस्पताल का बदलता स्वरूप

सत्यजीत कुमार  
क्षेत्रीय निदेशक

07 मार्च, 2020 का दिन था. बिहटा अस्पताल का मुआयना करने निगम के माननीय सदस्य और सनतनगर, हैदराबाद के अधिष्ठाता (Dean) पटना आनेवाले थे. मुख्यालय द्वारा इसकी सूचना दी गयी थी, इसलिए पटना एयरपोर्ट पर तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक के साथ उन्हें रिसीव करने जाना था. मैं तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक के साथ एयरपोर्ट पर सम्बंधित फ्लाइट (हवाई जहाज) के पहुंचने से कुछ देर पहले पहुँच गया था. हम दोनों पटना एयरपोर्ट के आगमन वाले गेट पर मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे थे. उस समय कोरोना महामारी की शुरुआत हो चुकी थी, पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी. फिर भी कई हवाई यात्री मास्क लगाकर बाहर निकल रहे थे. उस समय इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह महामारी इतना विकराल रूप ले लेगी. मेहमानों के आने पर परिचय के पश्चात हमने हाथ मिलाकर अभिवादन किया. शीघ्र ही, समय को ध्यान में रखते हुए, हमलोग बिहटा की ओर चल पड़े. बिहटा अस्पताल पहुँचने पर निगम के माननीय सदस्य एवं डीन की उपस्थिति में चिकित्सा अधीक्षक, बिहटा द्वारा एक प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) दी गयी, जिसमें अस्पताल की उस समय की स्थिति एवं इसके लिए भावी योजना पर प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात वहाँ उपस्थित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अस्पताल के विस्तार एवं विकास के लिए भावी योजना को मूर्त रूप देने हेतु मेहमानों एवं वहाँ मौजूद अन्य सदस्यों द्वारा बिहटा अस्पताल परिसर का एक चक्कर लगाया गया। वहाँ की व्यवस्था और आधारभूत संरचना को देखने के पश्चात इस अस्पताल सह चिकित्सा महाविद्यालय को क्रियाशील (फंक्शनल) करने की दिशा पर चर्चा की गयी। अस्पताल परिसर के प्रत्येक ब्लॉक का भ्रमण करने के उपरान्त सभी ने भोजन किया और इस दौरान भी अस्पताल के भावी योजनाओं पर ही चर्चा चलती रही। कुछ देर और रुककर दोनों मेहमान एयरपोर्ट के लिए निकल गए। प्रोटोकॉल को देखते हुए तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक के साथ मैं भी एयरपोर्ट पहुँचा और उन्हें विदा किया।

उसके बाद हमलोग क्षेत्रीय कार्यालय पहुँचे और दिनभर के घटनाक्रम पर पुनः चर्चा हुई। चर्चा के दौरान, 2018 में बिहटा अस्पताल को 50 बेड के अस्पताल के रूप में शुरू करने की मुख्यालय की योजना एवं उस पर प्रभावी ढंग एवं योजनाबद्ध तरीके से कम समय में अस्पताल को चालू किए जाने से लेकर उसके लिए सभी आवश्यक इक्विपमेंट,

मैन पावर, ए.आर.एम., विद्युत आपूर्ति आदि सहित उद्घाटन से पूर्व सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएँ एवं सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए पर विस्तार से चर्चा हुआ। इस अस्पताल को शुरू करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय निदेशक को दी गयी थी, इसलिए कार्य की प्रगति पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक कक्ष में प्रतिदिन शाम को अधिकारियों के साथ बैठक होती थी; और इस प्रकार 07 जुलाई, 2018 को 50 बेड के अस्पताल के रूप में इसका उद्घाटन कई गणमान्य व्यक्तियों, जिसमें माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार, के साथ मुख्य सचिव, बिहार, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक रह चुके थे, की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया था। उद्घाटन समारोह की व्यवस्था काफी अच्छी थी। इस ऐतिहासिक पल के गवाह कई लोग बने थे। जुलाई, 2018 से लेकर वर्ष 2020 की पहली तिमाही तक 50 बेड के अस्पताल के रूप में बिहटा अस्पताल क्रियाशील रहा है, जहाँ बीमितों की संख्या को देखते हुए गैर बीमितों को भी कम शुल्क अदा कर चिकित्सा प्रदान की जा रही थी। चर्चा करते करते शाम के आठ बज चुके थे, इसलिए हमलोग अपने-अपने घर जाने लगे। मैं भी क्षेत्रीय निदेशक महोदय से विदा लेकर घर चला आया।

विदित हो कि उन दिनों एसिक दिवस मनाया जा चुका था और पखवाड़ा चल रहा था। कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए मुख्यालय द्वारा वर्ष 2020 का एसिक पखवाड़ा भी बीच में ही रोकने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किया गया था। साथ में सामाजिक दूरी, साफ़-सफाई, मास्क, बायोमेट्रिक उपस्थिति को रोकने आदि का निर्देश दिया गया था। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 22.03.2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रत्येक देशवासी को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार रहने की अपील की। देश की जनता ने भी उनकी अपील पर मुहर लगाते हुए उनके द्वारा कही गयी एक-एक बात का अक्षरशः अनुपालन किया। पुनः कुछ दिनों के पश्चात देश के नाम सन्देश में उन्होंने 25.03.2020 से लॉकडाउन की घोषणा की। इसमें कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों के मूवमेंट, निजी वाहनों का परिचालन, धार्मिक स्थल आदि बंद कर दिए गए। इसी दौरान मुख्यालय द्वारा ई.एस.आई.सी. के कुछ अस्पतालों को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में नामित किया गया, जिसमें बिहटा अस्पताल का भी नाम था। बाद में इस अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड के रूप में भी उपयोग किया गया जहाँ हलके लक्षण वाले (Asymptomatic) कोरोना मरीजों को रखा जाता था। बिहटा अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग करने के लिए अन्य आवश्यकताओं के साथ कुछ कर्मचारियों की भी जरूरत थी, जिसकी व्यवस्था क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर से अविलम्ब की गयी।



जानकारी के आधार पर, जून, 2020 तक 300 से अधिक मरीज बिहटा के आइसोलेशन वार्ड में उपचार पा चुके थे और कई लोग ठीक होकर भी गए। इधर कोरोना के मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी मरीजों के उपचार के लिए बिहार में उपलब्ध अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव था एवं इसके लिए अस्पतालों की संख्या भी अपर्याप्त थीं। बिहार में नालंदा मेडिकल कॉलेज को नोडल अस्पताल बनाया गया, जबकि बाद में महामारी से बचाव के लिए इंदिरा गाँधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, एम्स की भी सुविधा ली जाने लगी। चूँकि कोरोना एक नए प्रकार के विषाणु से जनित रोग है, इसलिए उपचार भी अनुमानित आधार पर ही किए जा रहे थे। उधर कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, साथ ही मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। चारों ओर महामारी से डर और भय का माहौल था।

इसी दौरान 31.03.2020 को तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए और क्षेत्रीय कार्यालय की जिम्मेदारी मुख्यालय द्वारा मुझे सौंप दी गयी। उस समय बिना संक्रमित हुए कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलाना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था की गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे कार्यालय में उस दौरान कोई भी संक्रमित नहीं हुआ। यद्यपि इस पत्रिका के जारी होने तक इस महामारी से संक्रमण की संख्या काफी कम हो गयी थी तथापि गृह मंत्रालय एवं मुख्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस महामारी का सामना करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय में आवश्यक सभी व्यवस्था यथा- सैनिटाइजेशन, मास्क, हैण्डवाश का उपयोग जारी रखते हुए कार्यालय के सभी कार्य किए जा रहे थे। इसी दौरान मुख्यालय द्वारा टाई-अप सेंटर के पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन सम्बन्धी आदेश दिए गए। इसके अनुसरण में सभी लंबित चिकित्सा विपत्रों का भुगतान किया गया, जिसके लिए कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भी जारी किया गया।

कोरोना एक ऐसी महामारी के रूप में सामने आया था जिसके समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत थीं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में डी.आर.डी.ओ. की मदद से 10,000 बेड के कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया और कोरोना पीड़ित मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। केंद्र सरकार ने बिहार में भी डी.आर.डी.ओ.की मदद से दो जगह कोविड अस्पताल के निर्माण का आदेश दिया जिसमें पहला ई.एस.आई.सी.अस्पताल, बिहटा में और दूसरा मुजफ्फरपुर में खोला जाना था। केंद्र सरकार और मुख्यालय के तालमेल के कारण कोरोना महामारी जैसी चुनौती का सामना करने के लिए एक उम्मीद की किरण जागी। मुख्यालय द्वारा ई.एस.आई.सी.अस्पताल, बिहटा को डी.आर.डी.ओ. को हैण्ड ओवर करने तथा इसके लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निदेश दिया गया। फिर बिहटा अस्पताल को हैण्ड ओवर

करने की प्रक्रिया की गयी। डी.आर.डी.ओ. द्वारा उपचार के लिए आवश्यक उपकरणों/ मशीनों यथा वेंटीलेटर, बेड, दवाइयां, डॉक्टरों आदि की व्यवस्था की गयी और 24 अगस्त, 2020 से कोविड का इलाज शुरू हुआ। लगभग तीन-चार महीनों तक कोरोना पीड़ितों का उपचार इस अस्पताल में किया गया। बाद में इनकी घटती संख्या को देखते हुए ई.एस.आई.सी मुख्यालय द्वारा बिहटा अस्पताल को पुनः टेक ओवर करने के लिए दिसम्बर, 2020 में दिशानिर्देश प्राप्त हुआ। मुख्यालय के प्रतिनिधि, चिकित्सा अधीक्षक, बिहटा और कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय द्वारा टेक ओवर की प्रक्रिया की गयी। पुनः एक बार भ्रम की स्थिति बनने लगी कि इस अस्पताल का अब क्या होगा। इसी दौरान एक बार फिर ई.एस.आई.सी. चिकित्सा महाविद्यालय, सनतनगर के डीन से मेल प्राप्त हुए, जिसमें बिहटा अस्पताल के 100 सीटों पर एम.बी.बी.एस.की पढाई शुरू किए जाने सम्बन्धी सूचना दी गयी थी। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से भी कई सूचनाएं मांगी गयी थीं, जिसे ससमय उपलब्ध कराया गया। कार्य की गंभीरता को देखते हुए इस पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया गया। सारी सूचनाएं उलब्ध होने के उपरांत सनतनगर के डीन से पुनः सूचना प्राप्त हुई कि 100 सीटों पर एम.बी.बी.एस.की पढाई के लिए आवेदन कर दिया गया है। कुछ दिनों के बाद चिकित्सा आयुक्त (चिकित्सा शिक्षा) ने बिहटा अस्पताल के सम्बन्ध में पुनः कुछ जानकारी ली और अगले ही सप्ताह डीन के साथ उनका बिहटा आगमन हुआ। उनके बिहटा दौरे के समय मैं उनके साथ ही था। उनके इस दौरे से इस बात का आभास हो गया था कि इस बार इस अस्पताल के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। उम्मीद के अनुरूप ही चिकित्सा आयुक्त एवं डीन के प्रस्थान के पश्चात मुख्यालय द्वारा बिहटा अस्पताल सह चिकित्सा महाविद्यालय का शुभारम्भ करने के लिए कई निदेश प्राप्त हुए, यथा-330 बेड के अस्पताल एवं 100 सीटों के मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत पदों की संख्या एवं कॉन्ट्रैक्ट पर फैकल्टी, एस.आर., जे.आर., ए.आर.एम. एवं मैन पॉवर की व्यवस्था एवं मरीजों एवं कर्मचारियों के लिए शटल बस की व्यवस्था आदि। बिहटा अस्पताल सह चिकित्सा महाविद्यालय के शुरू होने से बीमितों एवं उनके आश्रितों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।

अंत में, मैं यह बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए काफी चुनौतियों से भरा रहा। लेकिन सही सोच हो तो चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है। इसी का परिणाम है कि जहाँ 2020 की पहली तिमाही के दौरान बिहटा अस्पताल केवल 50 बेड का अस्पताल था, वहीं यह दूसरी तिमाही के दौरान कोरोना मरीजों के लिए क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड के रूप में उभरा और फिर तत्कालीन जरूरतों के अनुसार तीसरी तिमाही में इसे कोरोना मरीजों के उपचार के लिए नामित (dedicate) किया गया। पुनः अंतिम तिमाही में इसका स्वरूप 330 बेड के एक बड़े अस्पताल एवं 100 सीटों के मेडिकल कॉलेज का हो गया है।

\*\*\*\*\*





## राजभाषा नीति का अनुपालन : व्यावहारिक कठिनाइयां एवं निदान

प्रमोद कुमार निराला  
सहायक निदेशक (राजभाषा)

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा सर्वोच्च सम्माननीय होते हैं. देश के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए इन तीनों की बोधगम्य जानकारी आवश्यक है. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 14 सितम्बर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा की सांविधानिक मान्यता दी. इस प्रकार राजभाषा के रूप में हिंदी ने 71 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी वह संविधान द्वारा उसके लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायी है. इसे विडम्बना ही कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयास करने बावजूद और पर्याप्त मानव शक्ति एवं विद्वजनों के होते हुए भी हिंदी अभी तक लाचार एवं असहाय अवस्था में है. शायद इस सबके पीछे कोई न कोई कारण अथवा नैतिक कर्तव्यों के निर्वहन की अक्षमता हो सकती है.

दैनिक जीवन, कार्यव्यवहार व बोलचाल की भाषा के रूप में हम हिंदी को अपनाते हैं. लेकिन जब हम कार्यालय में आते हैं तो हमारी मानसिकता में अचानक परिवर्तन आ जाता है और सरकारी कामकाज में हम हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग करने लग जाते हैं. यदि हम बौद्धिक दृष्टि से मानसिकता व नैतिक स्तर पर मातृभाषा एवं मातृभूमि के प्रति निष्ठावान हैं तो फिर राजभाषा हिंदी की यह हालत क्यों है? यह विचारणीय तथ्य है. मेरे विचार से भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में आने वाली कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां निम्नलिखित हैं :-

### 1. नियमों के अनुपालन का अभाव :

प्रायः यह देखा गया है कि प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग का राजभाषा अनुभाग समय-समय पर राजभाषा नीति के अनुपालन के सम्बन्ध में परिपत्र, आदेश अथवा निर्देश अपने अधीनस्थ कार्यालयों को जारी करता है, उदाहरण के लिए, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन के सम्बन्ध में जारी व्यावहारिकता देखी जाती है. अतः यह विभागाध्यक्ष को चाहिए कि अन्य सरकारी नियमों/विनियमों की तरह राजभाषा हिंदी सम्बन्धी नियमों का वास्तविक अनुपालन सुनिश्चित करवाएं. इस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को आपसी तालमेल से दूर किया जा सकता है.

हिंदी दिवस/पखवाड़े/माह के आयोजन के अवसर पर प्रायः भारत सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रति क्षणिक उत्साह दिखाई पड़ता है. इस दौरान हिंदी के विकास एवं उत्थान के लिए कई प्रकार की घोषणाएँ की जाती हैं और ऐसा लगता है कि अब हिंदी का विकास कुछ ही दिनों में संपन्न हो जायेगा तथा सरकारी कार्यालयों में पूर्णरूपेण हिंदी का ही प्रयोग होने लगेगा. लेकिन सितम्बर माह के बीतते ही हिंदी के प्रति क्षणिक प्रेम रेत के घरोंदे की तरह ढह जाता है और स्थिति पुनः यथावत हो जाती है.

इस सम्बन्ध में हमें अपनी कथनी और करनी में समानता लानी होगी. साथ ही, अपने हिंदी प्रेम को क्षणिक रूप न देते हुए शाश्वत रूप प्रदान करना होगा. तभी हम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए राजभाषा हिंदी को वास्तविक रूप से राजभाषा का दर्जा दिला पायेंगे.

## 2. अनुवाद की जटिलता :-

एक देश की संस्कृति अथवा भाषा से दूसरे देश की संस्कृति तथा भाषा तक पहुँचने में अनुवाद एक सेतु का काम करता है, किन्तु दैनिक कार्य-व्यवहार में यह पर्याप्त जटिलताएं एवं भ्रांतियां भी उत्पन्न करता है. वस्तुतः होता यह है कि अनुवादक अपनी ज्ञान की सीमा के अनुरूप किसी वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक अथवा किसी अन्य प्रकार के दस्तावेजों का अनुवाद कर अपने कार्य का इतिश्री समझ लेता है. लेकिन अध्ययन करने पर पता चलता है कि श्रोत भाषा से किया गया अनुवाद उसके वास्तविक रूप से एकदम विपरीत है अथवा अस्पष्ट हो गया है. ऐसे अनुवाद भाषा की मौलिकता को तो समाप्त करते ही है, साथ ही हमारे हिंदी प्रेम को भी आघात पहुँचाने का काम करते हैं.

अनुवाद की इन सभी जटिलताओं को ध्यान में रखकर अनुवादकों को चाहिए कि वे शाब्दिक अनुवाद की चिंता न करते हुए सरल और सहज भाषा में विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करें. भाषा तथा सम्बंधित विषय को जानने की ललक मन में हो तो भाषा अपने आप सरिता की भांति प्रवाहित होने लगेगी. इससे न केवल अनुवाद की भ्रांतियां कम होगी बल्कि समानांतर मौलिक लेखन को भी प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं बल मिलेगा. अनुवाद चाहे कितना भी अच्छा हो वह मौलिक लेखन का स्थान कभी नहीं ले सकता. अतः मौलिक लेखन को बढ़ावा देने का हरसंभव प्रयास किया जाना आवश्यक है.

बेहतर होगा कि भारत का हर वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक अनुवाद के लिए किसी दूसरे की राह न ताकते हुए स्वयं यह प्रयास करे, तो निश्चित ही अनुवाद सम्बन्धी गलतफहमियाँ/भ्रांतियां दूर होंगी. इससे भाषा की जानकारी के साथ-साथ ज्ञान में भी वृद्धि होगी.

## 3. सबका समान दायित्व :-

प्रायः यह देखा गया है कि राजभाषा हिंदी की उन्नति एवं विकास के लिए किसी भी मंत्रालय, विभाग, संस्थान अथवा प्रतिष्ठान के राजभाषा अनुभाग को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है. जबकि भारत सरकार के शासकीय कर्मचारी होने के नाते राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना प्रत्येक शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी का सांविधिक और नैतिक दायित्व है. यह केवल कार्यालय के राजभाषा अनुभाग का ही दायित्व नहीं है, बल्कि उस कार्यालय के सभी अनुभागों का भी समान दायित्व है.

हिंदी कार्यशाला, संगोष्ठियों, कार्यक्रमों, हिंदी पखवाड़ा तथा राजभाषा हिंदी के विकास सम्बन्धी गतिविधियों के आयोजन में केवल हिंदी अनुभाग को ही उत्तरदायित्व माना जाता है. लेकिन यदि राजभाषा विषयक कार्यों को केवल हिंदी अनुभाग का कार्य न मानकर सब लोग एकजुट होकर समान रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में गुणात्मक वृद्धि होगी. भाषा थोपने की वस्तु नहीं है, अपितु हृदय से अपनाए जाने की वस्तु है. इसमें प्रदर्शन का भाव नहीं वरन स्वतः स्फूर्त समर्पण होना आवश्यक है.

## 4. शब्दावली की समस्या :-

राजभाषा हिंदी के प्रयोग में आने वाली एक प्रमुख व्यावहारिक समस्या शब्दावली की समस्या है. भारत सरकार के अनेक विभाग, कार्यालय, मंत्रालय आज भी अपने मैनुअल, नियम, संहिताओं इत्यादि का केवल अंग्रेजी संस्करण ही प्रकाशित करवाते हैं. इससे इन कार्यालयों में काम करनेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी में कार्य करते समय शब्दावली की समस्या आती है.



भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावलियों का कार्य यद्यपि अनूठा एवं बेजोड़ है लेकिन ये शब्दावलियाँ भी मूलभूत कार्यों के लिए शब्दों के उचित अर्थ प्रदान करने में कहीं-कहीं असमर्थ रहती हैं। कहीं-कहीं भाषा के प्रवाह के अनुरूप उचित शब्दों के न मिल पाने के कारण बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में हमें शब्दों के अन्य पर्याय अथवा विकल्पों की तलाश करनी चाहिए ताकि विषय को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सके, न कि उचित शब्दों के अभाव में हम एक विदेशी भाषा पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं।

सामाजिक जीवन में और विशेष रूप से शासकीय कार्यों में कोई भी शब्द प्रारंभ में लोकप्रिय तथा प्रचलित नहीं होता, क्योंकि भाषा प्रयोग की वस्तु है। प्रयोग व व्यवहार ही शब्दों को जीवंतता तथा गति प्रदान करते हैं। अतः प्रारंभ में उचित शब्द न मिलने पर इनके अंग्रेजी पर्यायों के लिप्यन्तरण की प्रवृत्ति बढ़ानी होगी। साथ ही अंग्रेजी शब्दों के सहज और सरल हिंदी पर्याय भी आपसी विचार-विमर्श से तलाश करने होंगे। शब्दों का निर्माण वातानुकूलित कक्षों में नहीं बल्कि भाषा प्रयोक्ताओं तथा विषय-व्यवहार के वास्तविक धरातल पर करना होगा।

#### 5. समस्याओं के निदान के कुछ सुझाव :-

समस्या तो जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान रहती है, लेकिन जीवन की सार्थकता समस्या का हिस्सा बनने में नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनाने में है।

उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं :-

1. अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी शिक्षण योजना तथा विभागीय व्यवस्था का सुदृढीकरण।
2. हिंदी सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा अधिक से अधिक कामकाज हिंदी में करने के लिए नियमित प्रोत्साहन योजनाएं।
3. आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य मीडिया द्वारा हिंदी पाठ्यक्रमों का नियमित प्रसारण।
4. कार्यालय में समय-समय पर हिंदी कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन।
5. केंद्र सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोजित किये जाने वाले साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प प्रदान किया जाना।
6. देश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. कार्यालय में राजभाषा हिंदी का निरीक्षण तथा हिंदी में किये जा रहे कामकाज की नियमित निगरानी व समीक्षा।
8. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम का में उस समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में प्रबल इच्छाशक्ति का अभाव ही प्रायः देखा जाता है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राजभाषा किसी भी राष्ट्र की गरिमा के प्रतीक होते हैं, क्योंकि ये किसी भी राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा होते हैं। राजभाषा की इस गरिमा का बोध जब जिस दिन केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि के अधिकारियों/कर्मचारियों को हो जाएगा, उस दिन वे स्वतः ही हिंदी में अपना कामकाज करने लगेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि इनमें उस अतीतबोध को पुनः जागृत किया जाए। इस प्रकार हम अपने आचरण, प्रयोग, निष्ठा व व्यवहार की उर्वरता से इस समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हैं। ऐसा करने पर वह दिन दूर नहीं जब हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में अपने वास्तविक स्थान और गौरव को प्राप्त कर सकेगी।

\*\*\*\*\*

# खूनी होली



मालविका

क० अनुवाद अधिकारी

रात सच और,  
दिवा स्वप्न सा है.

अंतर में झंझावात,  
चेहरा खामोश सा है.

होंठ सिले,  
लबों पर प्रश्न सा है.

कहने को पूरी कहानी,  
पर कंठ अवरुद्ध सा है.

अनकही पीर को समझे जो,  
ऐसा मनमीत कहाँ है?

दीवारों के हैं कान,  
जुबां खोलता कौन है?

आँखों में लहराता बादल,  
पर बरसात पर पहरा है.

सच कहने को विकल आत्मा,  
पर आतंक का पहरा है.  
होली जलती मानवता की,  
पशुता खेले खूनी होली.

\*\*\*\*\*



### राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3)

राजभाषा अधिनियाँ, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत 14 कानूनी दस्तावेज आते हैं जिन्हें अनिवार्यतः हिंदी एवं अंग्रेजी में एक साथ तैयार, निष्पादित एवं जारी किया जाना चाहिए। मौजूदा कानून के मुताबिक कोई भी अधिकारी ये दस्तावेज केवल एक भाषा में निष्पादित/जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

ये 14 दस्तावेज निम्नलिखित हैं:-

1. सामान्य आदेश
2. संकल्प
3. नियम
4. प्रेस विज्ञप्ति
5. सूचना
6. निविदा प्रारूप
7. संविदा
8. करार
9. अनुज्ञप्ति
10. अनुज्ञा पत्र
11. अधिसूचना
12. प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन
13. संसद में प्रस्तुति हेतु प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन
14. संसद में प्रस्तुति हेतु राजकीय कागजात

धारा 3 (3) के अनुपालन की जिम्मेदारी इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है। इसका अनुपालन न करने वालों के खिलाफ संसदीय समिति बहुत कड़ा रुख अपनाती है। वह जानना चाहती है कि इस धारा का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के खिलाफ सम्बंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की है। धारा 3 (3) का अनुपालन एक संविधिक अनिवार्यता है। इसमें छूट का प्रावधान नहीं है। धारा 3 (3) के कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी हों और यह ध्यान रखा जाए की हिंदी रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/ पहले रहे।

\*\*\*\*\*



## एक शहीद की व्यथा

समरांगन में  
जिसने जाने कितने  
दुश्मन मार गिराए  
मातृभूमि की रक्षा के हित  
जिसने थे शमशीर उठाए  
उसके ही सीने को  
आकर चीर गई दुश्मन की गोली  
उस क्षण जाने कितनी यादें  
अनजाने ही  
बनीं दिल की हमजोली ।  
झुर्रियों भरे हाथ अम्मा के  
जो देते सदा आशीष जीने की  
चेहरे पर ओढ़ी मुस्कान  
जिसके पीछे  
गीली हो आई आँखों को छुपाकर  
पूछना –  
बेटे, कब आओगे?  
रुनझुन रुनझुन, डगमग डगमग  
चलकर, गलबहियां डाले  
बिटिया की तुतलाती बोली  
'पापा, फिर क्यों जाना,  
अबके जो आना तो  
मेरी प्यारी गुड़िया लाना'

जर्जर काया,  
विकल भाव से,  
दर्द छुपाकर  
मातृभूमि की सेवा के हित  
जिसने दी अश्रुहीन विदाई।

जिस कोमल, नाजुक चेहरे में  
दिल की मैंने लगी लगाई  
साथ निभाने का कर वादा  
जिसके संग थी प्रीत बढ़ाई  
प्रियतमा ने मुस्कुराकर  
था कहा  
मातृभूमि का कर्ज चुकाना  
पर 'वापस जरूर आना'

अम्मा, बाबा, बिटिया सब का  
कर्ज चुकाऊं कैसे  
मातृभूमि पर प्राण निछावर  
मैं डिग जाऊं कैसे  
सैनिक हूँ मैं  
मातृभूमि ही मेरी अम्मा,  
बाबा मेरे, मेरी प्रियतमा  
इस पर ही बलि जाऊं.

\*\*\*\*\*

श्वेता सिन्हा  
व० अनुवाद अधिकारी



## क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में राजभाषा पखवाड़ा तथा हिंदी दिवस समारोह के आयोजन की रिपोर्ट

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में दिनांक-01/09/2020 से 14/09/2020 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर दिनांक-14/09/2020 को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बेहद सादगी से हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर उप निदेशक, श्री संजय कुमार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे जबकि समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), श्री सत्यजीत कुमार द्वारा की गई.

कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री प्रमोद कुमार निराला, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अपने स्वागत भाषण से किया जिसमें उन्होंने बिहार क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा शाखा द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए जानेवाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. साथ ही वर्ष 2019-20 के दौरान सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में सामान्य शाखा को अंतः शाखा चल-शील्ड प्रदान की गई. तत्पश्चात राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों के पुरस्कार राशि की घोषणा की गई तथा उन्हें मंचासीन अधिकारियों एवं क्षेत्रीय निदेशक के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए. इस अवसर पर उप निदेशक, श्री संजय कुमार ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हिंदी विश्व के बड़े भूभाग में बोली और समझी जाती है, बावजूद इसके दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के चलते सही मायनों में हिंदी को भारत में ही राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है. उन्होंने बल देकर कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी बोलकर भारत का मान बढ़ाते हैं वहां के लोग अंग्रेजियत को अपनी शान समझते हैं यह वाकई क्षोभ का विषय है. अंत में क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने महानिदेशक महोदय द्वारा जारी अपील को पढ़कर सुनाया साथ ही अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी तथा राजभाषा कार्यान्वयन में बेहतर प्रदर्शन हेतु राजभाषा शाखा के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इस कार्य में अन्य शाखाओं से इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा की. उन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषा ही हमारी राजभाषा है और इस कारण हमें हिंदी में कार्यालयी कामकाज करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और इस तरह से हम न केवल राजभाषा हिंदी की सेवा कर सकेंगे अपितु आमजन को भी हम बेहतर सेवा मुहैया कराकर 'एक पंथ दो काज' कहावत को भी चरितार्थ कर सकेंगे.

अंत में श्री प्रमोद कुमार निराला, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पखवाड़े के दौरान सहयोग करने तथा कार्यक्रम के दौरान अपनी उपस्थिति से इसे सफल बनाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया. इसके साथ ही कार्यक्रम के विधिवत समापन की घोषणा की गई.



## नेवते की साड़ी

प्रमोद श्रीवास्तव  
भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक

शादी विवाह में निमंत्रण मिलने पर नेवता मिलने पर नेवता देना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि नेवता बिना सूद का कर्ज है। यदि आप के पुत्र पुत्री के विवाह में किसी ने निमंत्रण दिया है तो उसे उसके पुत्र पुत्री के विवाह में निमंत्रण (नेवता) वापस करना आप की जिम्मेदारी है। निमंत्रण में लोग कुछ धन राशि के साथ गिफ्ट भी देते। गिफ्ट में साड़ी, बिंदी, सिन्दूर देने का सर्वाधिक प्रचलन है। जब आप किसी दुकान पर साड़ी खरीदने जाते तो विक्रेता का पहला प्रश्न 'साड़ी अपने या नेवता के लिए'। नेवते की साड़ी दोयम दर्जे की 100/- रुपये से लेकर 200/- रुपये तक कुछ भी हो सकती। हम उस साड़ी को, जिसे खुद नहीं पहन सकते, पैक करवाकर गिफ्ट दे देते। अब सैकड़ों साड़ी इकठ्ठा हो जाती और लोग उसमें से ए रिश्तेदारों को रिटर्न गिफ्ट देते। देते समय तो सोचा नहीं लेकिन खराब साड़ी पाकर नाक भौं सिकोड़ते। फिर उस साड़ी को हिफाजत से रख देते किसी और शादी या त्यौहार में किसी और को देने के लिए। इन सदियों को काम करने वाली नौकरानियां भी नहीं लेतीं। यह सिलसिला चलता रहता है। यदि आप अच्छा उपहार नहीं दे सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार लिफाफा में धन राशि दें। निम्न कोटि की साड़ी देना बंद करें।

\*\*\*\*\*

### प्यारी माँ



राजीव कुमार  
प्र०श्रे०लिपिक

हमको बहुत भाती है , प्यारी माँ सारे जग से न्यारी माँ ।  
जन्म दिया और दूध पिलाया , हमको अक्षर ज्ञान कराया ।  
पाला जिसने हमें बड़े जतन से, दिया स्नेह अंतर मन से ।  
दिन - रात की है सेवा , हमें खिलाया कल्वा मेवा ।  
गगन से ज्यादा किया, जीवन डगर संवार दिया ।  
तभी हम इतने बड़े हुए , पैर पर अपने खड़े हुए ।  
गिरुं मैं दर्द उसे होता , उठती तड़प जब मैं रोता ।  
हो पूरा एक सवाल , सदा वो रखे मेरा ख्याल ।  
कैसे उसका करूँ बखान , मैं तन तब मेरा प्राण ।

\*\*\*\*\*





**बिजेन्द्र कुमार**  
**आई.टी, सहायक**

## कोरोना और जीवन

कोरोना से किसकी यारी है  
ये तो वैश्विक महामारी है।  
कैद रहे ऐसे जैसे पिंजड़े में परिंदा हो  
बाहर जब तक न निकले हम तब तक जिंदा हो॥  
डॉ और प्रसाशन ने ईश्वर का रूप धरा है  
मानवता के रक्षा के खातिर इस संकट में खड़ा है।  
कोरोना से चीन की जो यारी हो गई।  
देखते देखते विश्व मे महामारी हो गई।  
कैद रहो तुम घरों में , हो जैसे पिंजड़े में परिंदा।  
घर से बाहर न निकले हो , तब तक हो जिंदा

\*\*\*\*\*

## कोरोना और श्रमिक

हमारी आँखे आज नम है  
जिन्होंने संसाधन बनाया  
उनके लिए ही संसाधन कम है।  
कैसी ये मजबूरी थी, अपनों से अपनों की दूरी थी।  
जिनके लिए काम किया वो मजबूरी दे गए।  
गैरो ने गले लगाया खाने के साथ मजदूरी दे गए।  
वैश्विक महामारी में आज हमारी मजबूरी हो गई  
लौट कर आना है अपने घर को यह जरूरी हो गई।

\*\*\*\*\*



## श्रमेव जयते

अश्वनी कुमार  
प्रवर श्रेणी लिपिक

इस देश की संसद ने श्रम कानूनों को सरल बनाते हुए ऐतिहासिक श्रम सुधार किया है !

कोड ऑन वेजेज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एवं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कानूनों के द्वारा भारत के मजदूरों, व्यापारियों के बीच सामंजस्य का रास्ता प्रशस्त किया है !

कानून के कुछ मुख्य पहलुओं को देखें तो भारत में पहले 44 तरह के विभिन्न श्रम कानूनों के द्वारा मजदूरों के अधिकारों और उनके हितों की संरक्षण करने की कोशिश की जा रही थी, ये कानून 70 -80 साल पुराने हो चुके थे और आज की वर्तमान परिस्थिति में हमारे श्रमिक वर्ग और हमारे व्यापारी दोनों ही इन कानूनों से परेशान हो रहे थे !

100 तरह के अलग अलग रजिस्ट्रों को मेंटेन करना तथा विभिन्न श्रम कानूनों के तहत अलग-अलग अनुपालन, श्रमिक-मजदूरी जैसे शब्दों की सही व्याख्या ना होना यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तो बाधित कर ही रहा था साथ ही श्रमिकों के अधिकारों को भी दुविधा में रख रहा था !

चूंकि मजदूरों के अधिकारों को लेकर हमारी संविधान सभा ने व्यापक विचार-विमर्श किए थे, मगर उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया था ! क्योंकि काफी संघर्ष, आंदोलन के बाद मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए मजदूरी, बोनस, सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय श्रमिकों के लिए लाए गए थे !

आज देश की संसद ने ऐतिहासिक श्रम कानूनों में व्यापक परिवर्तन करते हुए सभी श्रम कानूनों को चार कोड के अंदर समाहित कर दिया है !

यह कानून विभिन्न श्रमिक संगठनों उद्योगपतियों और अन्य हित धारकों से व्यापक विचार-विमर्श कर बनाया गया है ! श्रम कानून को बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल भी होती है !

इस कोड के कुछ मुख्य पहलुओं को देखें तो -

- ई.एस.आई.सी., ई.पी.एफ. के द्वारा करीब 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ देने की संकल्पना की गई है !

- ई.एस.आई.सी. के द्वारा आश्रित हितलाभ, चिकित्सा हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, बेरोजगारी भत्ता, बीमारी हितलाभ एवं पेंशन जैसे मूलभूत एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सरकार अब unorganised sector के लिए भी करेगी !



- धर्म, जाति, लिंग के आधार पर वेतन या अन्य सुविधाओं में कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा।
- सभी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 20 से ज्यादा श्रमिक वाले संस्थानों को ऑनलाइन पोर्टल पर नियुक्तियों की संख्या सरकार को बतानी होगी, जिससे लोग रोजगार के सही आंकड़े और अवसर से अवगत होते रहेंगे।
- पहली बार प्रवासी कामगारों के लिए प्रावधान लाये गए हैं! 18000 तक आमदनी वाले प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देना साथ ही वर्ष में एक बार घर जाने का किराया भी देना अनिवार्य होगा।
- खतरनाक श्रेणी के संस्थानों में ESI अनिवार्य होगा चाहे उस संस्थान में एक ही कर्मचारी क्यों न कार्यरत हो। इसके साथ पहली बार बागान मजदूरों के लिए भी ESI का प्रावधान किया गया है।
- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए पहली बार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान किया है। मतलब जो मैट्रो, ओला, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन सेक्टर के कामगारों पर भी ये सारे प्रावधान लागू होंगे।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा जो उनकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कामकाज की देखरेख करेगी।
- मजदूरों का वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करना होगा।
- वेतन को डिजिटल फॉर्म में यानी खाते में देना होगा। इससे निम्न वेतन संबंधित शिकायतों का पूरा लेखा जोखा रखा जा सकेगा।

दूसरी तरफ भारत को दुनिया के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, इसके लिए इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में भारत को सुधार करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

जिन श्रम कानूनों की वजह से विदेशी कंपनियां विदेशी इंडस्ट्रीज भारत नहीं आना चाहती थी, उन पहलुओं को भी सरकार ने ध्यान में रखा है और यह प्रावधान किया है कि 300 से कम कर्मचारी वाले संस्थान अब बिना सरकार की अनुमति के अपने कर्मचारियों को बहाल कर और हटा सकते हैं!

हड़ताल के प्रावधान में मजदूर संगठनों को 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य किया है ताकि उन 14 दिनों के दौरान सुलह की संभावना बन सके!

ई- इंस्पेक्शन की बात कही गयी है जो पूरी तरह फेसलेस और वेब बेस्ड होगी! अभी खासकर केंद्रीय श्रम कानूनों में तो इंस्पेक्टर राज पर पूरी तरह से पाबंदी है लेकिन राज्य सरकारों में तैनात श्रम विभाग के अफसरों द्वारा व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता था उन पर भी लगाम लगाई गई है और वे बिना अनुमति के संस्थानों में नहीं जा सकेंगे।

तो कुल मिलाकर सरकार ने देश के 90 करोड़ श्रमिक वर्ग के लिए तथा विदेशी निवेश में बढ़ावे को ध्यान में रखते हुए इन 4 लेबर कोड के द्वारा नए भारत को गढ़ने की कोशिश की है। आने वाले भविष्य में इन कानूनों की सार्थकता को कैसे साबित किया जाता है यह पूरी तरह सरकार पर निर्भर करेगा। इन कानूनों का उद्योगपति कितना अनुपालन कर पाते हैं और सरकार उनसे कितना अनुपालन करा पाती है इसी पर सारा खेल निर्भर रहेगा।

श्रमिक हमेशा से निरीह रहा है, उसे अधिकार दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और आशा है कि राष्ट्र इनके अधिकारों के बलबूते श्रमेव जयते का उद्घोष करेगा...





## नारी तू महान है

राजीव कुमार  
प्रवर श्रेणी लिपिक

निश्चय अगर तू कर ले नारी, हर मुश्किल आसान है ।  
डरती हो क्यों दुनिया से, तू तो बहुत महान है ।  
यों तो मिलती है तू सबसे, कभी तो मिल ले अपने से ।  
जो चाहेगी वह कर लेगी, तुझ में ही भगवान है ।  
लक्ष्मीबाई, रजिया तू है, तू ही काली, लक्ष्मी, सरस्वती ।  
हम सबकी जननी तू है, तू ही हिंदुस्तान है ।  
यह भारत है देश हमारा, हमको प्राणों से है प्यारा ।  
देश की खातिर अपना तन-मन, सब-कुछ ही कुर्बान है ।  
नारी खड़ी रहेगी कब तक, तू पुरुषों की बैशाखी पर ।  
ताकत कर पैदा पैरों में, तू तो दुर्गा की संतान है ।  
पारस पत्थर दिया है तुझमें, उसका तुझको ज्ञान है ।  
लोहे को भी सोना कर दे, तू इतनी गुणवान है ।  
गर्दन नीची शर्म से सबकी, जब लगी द्रौपदी दाँव पर ।  
हारा जुआरी भूल गया था, यह नारी अपमान है ।  
नहीं है तेरा नहीं है मेरा, जो कुछ है वह सबका है ।  
इस आस्था को लेकर जीना, केवल तेरी शान है ।  
चलते-चलते पहुँचेगी तू, खुद ही अपनी मंजिल पर ।  
नहीं असंभव कुछ भी जग में, दिल में जो अरमान है ।  
नहीं डिगा पाएगा कोई, तेरे दृढ़ संकल्पों को ।  
कभी न रुकना, कभी न झुकना, यह तेरा अरमान है ।

\*\*\*\*\*





## आस्था

मालविका

क० अनुवाद अधिकारी

रोज की तरह ही कलुआ आज भी अपने मन की पीड़ा को दबाए हुए अपनी भैंसों को चरा रहा था. परन्तु उसका ध्यान भैंसों की बजाए घर में ही लगा हुआ था. घर से निकलते समय आज फिर से हरिया की बहू धनिया का चिल्लाना, बाझिन-बाझिन कहकर उसकी बहू कमली को बुलाना उसे बुरी तरह से आहत कर गया. झगड़ा कही भी किसी भी बात पर शुरू हो, घूम फिर कर उसकी बेऔलाद बहू पर आ ही जाती है. फूल सी बच्ची मात्र बारह बरस की थी जब उसके घर ब्याहकर आई थी. उसने कभी उसे बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी. बाबू-बाबू कहकर ऐसे उसके आगे-पीछे करती जैसे उसकी खुद की बेटी हो. उसने भी उसे माँ से बढ़कर लाड़ प्यार दिया था. परन्तु अब उसकी उदास, भरी-भरी आँखें और खाली गोद देखकर वह अपनी भूख-प्यास सब भूल जाता है. अठारह साल हो गए अबतक उसकी गोद सूनी की सूनी है. कलुआ ने आसपास के सभी मंदिरों और बाबाओं के द्वार खटखटाए जाने किस-किस के चौखट पर अपना सर पटका परन्तु पोते का मुह नहीं देख सका. क्या उसके घर कभी बच्चे की किलकारी कभी नहीं गूँजेगी ? इकलौती औलाद के बेऔलाद रह जाने का दर्द क्या होता है कोई उससे पूछे ?

कक्का ! ओ कक्का ! ललुआ की ऊँची आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की.

का हुआ रेs ललुआ ! हड़बड़ाकर उसने ललुआ से पूछा.

तोहार भईसिया ! कहते हुए उसने उसकी भैंसों की और दौड़ लगा दी.

उसकी भैंसें मोहन बाबू के खेत में घुस गए थीं. शुक्र है कि ललुआ ने समय पर देख लिया वरना उसे फसल के नुकसान का हर्जाना तो भरना ही पड़ता, इस बुढ़ापे में मोहन बाबू की खरी-खोटी सुननी पड़ती सो अलग.

का बात है काका, तू कछु बोलत नाहीं ! काकी से कछु कहा-सुनी हो गवा का !

नाही रे ! बुझे मन से कलुआ ने जबाब दिया. तू जानत नाही हरिया की बहू धनिया को ! ओकर रोज-रोज के ताना अब बर्दाश्त नाही होत. कहकर उसने अपनी गीली पलकों को पोंछा.

छोड़ा इ सब. भोला बबा सब ठीक करिहें. कहते हुए ललुआ कलुआ का हाथ पकड़कर उसे उठाया. दोनों साथ-साथ आगे बढ़ने लगे कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा. काले-काले बादलों की फ़ौज जैसे बरसने को बेताब हों.

कक्का ! जल्दी चला हो. दोनों जल्दी-जल्दी भैंसों को हांकने लगे. तभी गरज के साथ बड़ी-बड़ी बूंदें गिरने लगी. ओला पड़ने के आसार थे और इतनी जल्दी दोनों के लिए घर पहुँचना संभव नहीं था,



**Claim Status  
Benefit ESI  
Scheme...**

**चिंता से मुक्ति ESIC Mobile App Umang**



कलुआ अभी अपनी भैंस बांध ही रहा था कि ललुआ ने फिर पुकारा. कक्का ! जल्दी से एने आबा हो ! ललुआ उस पुराने उपेक्षित मंदिर के छज्जे की छांह में खड़ा था जहां कलुआ ने अपने बाल्यकाल से कभी भी पूजा-अर्चना होते नहीं देखा था. वह अक्सर अपने बाप से पूछा करता था कि किसने इस बियावान में मंदिर बनवाया होगा और उसके बाबू कहा करते कि जउन मंदिर में कबहूँ पूजा-अर्चना नाहीं होत उहाँ जाने का-का बसत होइहें ? साथ ही उसको हिदायत देते- ए कलुआ सुना, तू उहाँ कबहूँ नहीं जइहा ! भूत-प्रेत पकड़ लेतवअ. शायद यही कारण था कि इस मंदिर में कभी कोई आता-जाता नहीं था.

आज जाने उसे क्या सूझा वह मंदिर के भीतर प्रवेश करने लगा कि ललुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया. तू अन्दर कईसे जएबा हो कक्का ! हट ! भगवान के घर जाए में काहे का डर. उसको जाता देख ललुआ भी हिम्मत करके उसके पीछे हो लिया. मंदिर को भीतर से देखने के लोभ का वह संवरण नहीं कर सका या फिर अपने काका का साथ देने चला यह उसका मन ही जाने. अन्दर पहुंचकर वह अचानक से चीख पड़ा ! बाप रे ! यहाँ तो शिवलिंग भी पड़ा है, अबतक मैं सोचता था कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होगी पर आज पता चला कि यहाँ इतना बड़ा शिवलिंग है वह भी सही सलामत. तभी दूर से बोल बम ! बोल बम ! की आवाज सुनाई दी और कांवरियों का एक दल बजे-गाजे के साथ बाबा गरीब नाथ को जल चढ़ाने के लिए ट्रेक्टर के ट्राली में भरकर जाता दिखाई दिया. हठात जाने कलुआ को क्या सूझा कि वह अचानक से शिवलिंग के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर जोर-जोर से चिल्लाकर भोले बाबा से मनौती मांगने लगा.

हे भोला बबा ! लोग तोहरा के छोड़क बाबा गरीब नाथ के जल चढ़ावे जाइछव !

कि बाबा गरीब नाथ में शक्ति हई, तोहरा में नाहीं ?

खाली हुनही मनता पूरा कर सकथिन, रउरा नाही !

अगर रउरा में शक्ति हए, रउओ मनता पूरा सकली ह, त हमरा पोता के मुह देखाई.

हम इहे गंहिरा (गड्ढा) में से पानी लेक भर सावन राउअर जलाभिषेक करब.

ललुआ अवाक् होकर यह सब देख रहा था. उसे लगा जैसे यह काका का कोई दूसरा ही रूप हो जो भगवान से ही लड़कर उन्हें ही चुनौती दे रहा था.

अगले दिन से कलुआ बिना नागा उस शिवालय में जलाभिषेक करने लगा. देखते ही देखते बरसात खत्म हो गई और सर्दी के साथ-साथ कलुआ के घर में भी खुशी ने दस्तक दी. उसकी बहू उम्मीद से थी. कलुआ की खुशी का कोई ठिकाना न था. अबके जब सावन आया तो कलुआ के गोद में उसके जुड़वा पोते खेल रहे थे और उनकी किलकारियां उसके घर-आंगन में गूंजकर उसके तन-मन को आह्लादित कर रही थीं. वह प्रभु की महिमा के आगे नतमस्तक था. अपने अटूट विश्वास के बल पर उसने न केवल अपने मन की मुराद पूरी की थी बल्कि आस्था की नई परिभाषा ही गढ़ डाली थी.

इसके बाद कलुआ जब तक जिंदा रहा उसी गड्ढे से लोटा भर जल लेकर उस उपेक्षित शिवालय में जलाभिषेक करता रहा और इस तरह से औरों के लिए भी आस्था के नए आयाम गढ़ता रहा.

\*\*\*\*\*





## कोरोना (कोविड-19) संकट

अमरदीप चंद्रवंशी  
सहायक

कोरोना (कोविड-19) वैश्विक महामारी की शुरुआत मध्य चीन के हुनोई प्रान्त के बुहान शहर से मध्य दिसम्बर, 2019 में हुई जब उस शहर के कई लोग अचानक निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बीमार होने वाले व्यक्तियों में यह समानता पाई गई कि वे सभी बुहान के बाजार में मछलियाँ बेचते थे तथा अन्य समुद्री जानवरों का व्यापार किया करते थे। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा शोध करने पर पाया गया कि वे सभी एक नए वायरस के संक्रमण से निमोनिया के शिकार हो रहे हैं। शोध में यह भी पाया गया कि ये बीमारी कोरोना वायरस से फैल रही है। इस नए वायरस की जीनोम संरचना 80 प्रतिशत तक सार्स कोरोना वायरस से मिलती जुलती है। इसलिए इस वायरस का प्रारंभिक नाम '2019-nCoV' रखा गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 23 जनवरी, 2020 को इसे वैश्विक स्तर की महामारी बताई और इस पर वैश्विक चिंता का खतरा बताते हुए इस महामारी का नाम Covid-19 रखा गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार इस संक्रमण से लगभग 1,50,20,547 लोग संक्रमित हुए हैं एवं अब तक इससे 50,400 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 मार्च, 2020 तक विश्व के लगभग 160 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं जिसमें चीन, हांगकांग, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, इराक, कुवैत, सउदी अरब, जापान इत्यादि शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक जिन लोगों की मौत इस संक्रमण से हो चुकी है, उनमें से 80% लोग कई बड़ी बीमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, श्वास सम्बन्धी रोग आदि से पीड़ित थे और वे 40-60 साल की उम्र के अंतराल में थे।

वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि यह बीमारी हवा के कणों से फैलती है। हवा के कणों में यह वायरस, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से आते हैं। यह वायरस स्वस्थ मनुष्य के सांस लेने पर श्वास नली में पहुंचकर वहां सूजन पैदा करता है और आगे फेफड़े में उपस्थित वायुकोश को अवरुद्ध करता है जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति रक्त द्वारा प्रवाहित ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाता है। इस प्रकार संक्रमित व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप उसका दम घुटने लगता है और मृत्यु तक हो जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इससे बचाव के कुछ उपाय हैं जो निम्नलिखित हैं :-

1. व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना, साफ-सुथरे कपड़े पहनना, एवं समय समय पर साबुन से लगभग 20 सेकंड तक मल-मल कर हाथ धोना। यदि पानी का अभाव हो तो 60% अल्कोहल युक्त सैनिटाईजर से समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाईज करना और गंदे हाथों से अपने कान, नाक, आँख इत्यादि नहीं छूना।

- 2 स्वच्छ वायु हेतु सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करना। एक बार उपयोग में लाए जाने वाले मास्क को, सिर्फ एक बार ही उपयोग किया जाए, तत्पश्चात उसे सावधानी से हटा दिया जाए। या NIOSH द्वारा प्रमाणित N/95 मास्क का इस्तेमाल। मुँह एवं नाक को पूरी तरह ढंक कर रखना। खांसते या छींकते समय मुँह पर टिशु पेपर रखना, टिशु पेपर नहीं होने की स्थिति में मुँह एवं नाक को अपनी कुहनी से ढंकना।
- 3 सामाजिक दूरी का पालन | लोगों से कम-से-कम 6 फीट की दूरी। कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं होने देना।

#### कोरोना वायरस संक्रमण के 4 चरण

पहला चरण :	अंकुर :	विदेश से अपने देश में आये संक्रमित लोग
दूसरा चरण :	अनिकेत :	विदेश से आये संक्रमित लोगों द्वारा किसी क्षेत्र में फैला संक्रमण।
तीसरा चरण :	अंकिता :	सामुदायिक रूप से संक्रमण का प्रसार (हजारों की संख्या में)
चौथा चरण :	अनंत :	महामारी का रूप धारण करना।

#### सलाह :

यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण है या ऐसा कोई लक्षण जैसे- सर्दी, खांसी या बुखार हो तो वह सर्वप्रथम 14 दिनों के लिए अपने आपको क्वारंटाइन करे अर्थात एक कमरे में खुद को बंद करके परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रहे एवं किसी भी बाहरी व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क में न आए और तत्काल उस बीमारी का इलाज करे।

14 दिनों के क्वारंटाइन के दौरान यदि स्थिति गंभीर हो तो फ़ौरन अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराएं और डॉक्टर के निर्देशों एवं सलाह का पालन करे।

#### अंत में :

प्रायः ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बुरी नजर से देखा जा रहा है एवं उपचार के बाद ठीक होकर घर आए व्यक्तियों एवं इस महामारी में अपनी सेवाएँ देने वाले कर्मचारियों जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी आदि के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है जो कि गलत है। हमें ऐसा न करके हर संभव प्रयास कर इस महामारी को रोकना है एवं इसमें प्रयासरत लोगों का मनोबल बढ़ाना है।

#### सदैव ध्यान रखें :-

1. हमें बीमारी से लड़ना है बीमार से नहीं।
2. समय समय पर साबुन से हाथ धोएं।
3. सामाजिक दूरी का पालन करें।
4. सब्जी दुकान, राशन दुकान, सार्वजनिक या निजी स्थानों पर भीड़ इकट्ठी न करें।
5. हमेशा अपने मुँह एवं नाक को ढंक कर रखें।

इस महामारी को रोकने में अपना सम्पूर्ण योगदान दें।

\*\*\*\*\*





## प्रकृति से पंगा

अश्वनी कुमार  
प्रवर श्रेणी लिपिक

#कोविड19

हम आधुनिक हैं ! स्मार्ट, इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों में सबसे स्मार्ट ! हम पहाड़ तोड़ सकते, नदियों का रास्ता बदल सकते, बांध बनाकर पानी रोक सकते, जंगलों को उजाड़ कर आलीशान महलें बना सकते, मूक जानवरों को मिर्च मसाला लगाकर बड़े चाव से खा सकते हैं !

हम इंसान हैं ! इतने शक्तिशाली कि शेरों को मार सकते हैं मगर मशीन के सहारे ! बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए हम साधारण टिड्डे से भी सामना नहीं कर सकते ! मानवीय चेतना का बेजा दुरुपयोग वह भी प्रकृति के सामने, मगर ध्यान रहे यह प्रकृति तुम्हारे कारण नहीं बल्कि प्रकृति से तुम हो !

प्रकृति शाश्वत है ! हम इसे जितना नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे उतने गंभीर परिणाम भुगतने होंगे ! आधुनिकता एवं विकासवाद की आड़ में विकसित देशों ने प्रकृति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ! प्रकृति को नियंत्रण में लेने की कोशिश ने आज दुनिया की आबादी के ऊपर कोरोना वायरस ने संकट में डाल दिया है !

एक वायरस के कारण 'ग्रेट शहंशाह अमेरिका' में इमरजेंसी लगी पड़ी है ! भारत समेत दुनिया की तमाम बड़ी आबादी वाले देशों के ऊपर आर्थिक बर्बादी का खतरा मँडराता दिख रहा है ! लोग घरों में दुबके पड़े हैं, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट और वैज्ञानिक इस खतरे से मानव जाति को बाहर निकालने के लिए दिन रात लगे पड़े हैं। चीन की अतिबुद्धिमता का दम्भ समूचा संसार भुगत रहा है !

उसके जाहिलपने से भारत एवं यूरोप अघोषित जंग लड़ता दिख रहा है ! पूरे एशिया में खौफ का माहौल है ! प्रकृति के सिर्फ एक चोट से पूरा विश्व कराह उठा है !

अरबों खरबों डॉलर डूब चुके हैं, अर्थव्यवस्था बेहाल हो चुकी है ! जनजीवन बेजान हो चुका है !

क्या यह मनुष्य के उन पापों का प्रायश्चित्त नहीं जब हम निरीह जानवरों का आशियाना उजाड़ डालते हैं फिर उसे पिंजरे में बंद कर तरह-तरह की लजीज रेसिपी व्यंजनों के नाम से परोस डालते हैं ! खाकर डकार लेता मानव किस आधार पर इंसान कहे जाने का हक रखता है ?

दुनिया के सबसे शक्तिशाली एवं शानदार शिकारी शेर जैसे जानवरों को बाड़े में डाल अदब से चिड़ियाघर (zoo) का नाम देते हैं ! उसे उसकी पारिस्थितिकी, खाद्य श्रृंखला से मनोरंजन मात्र के लिए मशीनों के सहारे विस्थापित कर डालते हैं वह भी बिना सोचे !

क्या हम पेड़ों को काटने से पहले इस अबोहवा में उसके योगदान के बारे में तनिक भी सोचते हैं ?

क्या हमने आसमान में स्वच्छंद विचरण करने वाली पंछियों के बारे में कभी सोचा ? चुंबकीय तरंगों से हमने लगभग समस्त पंछियों का अस्तित्व पर ही संकट पैदा कर दिया है ! अगर किसी आधुनिक मनुष्य से इन सवालों का जवाब बेहद ईमानदारी से देने को कहा जाए तो निश्चित है निरुत्तरता में बेजुबान साबित होगा !

हमने गलत किया है ! बहुत गलत ! इस प्रकृति को हमने नियंत्रित करने का साहस किया है ! उसे अपने इशारों पर चलाने की जुर्रत की है ! यह ठीक वैसा ही है जैसे टहनियों में लगा फल पूरे वृक्ष को अपने अनुसार झूमने को विवश कर रहा हो !

कोरोना वायरस मनुष्य की जघन्य करतूतों की महज बानगी है ! प्रकृति शाश्वत है ! हम प्रकृति से हैं ! हमारी जरूरत है प्रकृति से पूर्ण होती है !

अतः मानव अपने सीमित दायरे में रहकर ही अपनी बुद्धिमता का नंगा नाच करे वही बेहतर होगा !

## दहेज़ का दंश



शालिनी कुमारी  
प्र०श्रे०लिपिक

है आज खुशी का दिन घर में  
आई इक हरियाली है  
मानो किसी के सुकर्म फल से  
ईश्वर ने अपनी असीम अनुकम्पा बरसाई है  
सूने आँगन को महकाने  
नन्ही सी कलि इक आई है |  
है लोग खुशी से झूम रहे  
उसके माथे को चूम रहे |  
क्या कलरव है क्या सरगम है  
चहुँ ओर बस उसका ही रंग है |  
मीठे कोयल के जैसी वो  
मिश्री सा रस घोल रही |  
अपने पंखुड़ी जैसे होठों से  
मानो सबसे कुछ बोल रही |  
इठलाती सी इतराती सी  
बलखाती सी वो खेल रही |  
अपने बालपन की अल्हड़ता में  
न जाने कितने सपने है देख रही |  
बड़े लाड प्यार और नाज़ों से,  
धीरे – धीरे वो बढ़ने लगी |  
क्या खूब बनाया ईश्वर ने,  
ये सुन्दरता भी कहने लगी |  
फिर कोई कसर न छोड़ी उसने,  
खूब लगन दिखलाया था  
पढ़ लिख कर और नाम कमाकर  
माँ बाप का शान बढ़ाया था |  
पर हुई उम्र जब शादी की तो  
ये भी इक संजोग जगा,  
थी तो वह अनमोल मगर,  
था उसका भी एक मोल लगा |  
सुन्दरता और पढ़ाई लिखाई  
तब कुछ काम न आयी |  
उत्तम भविष्य की चाह में पिता ने  
दहेज़ की हर एक रकम जुटाई |

ससुराल से कभी न आये शिकायत  
इतना था सामान दिया  
मायके का मान बनाए रखना  
ऐसा माँ ने था फरमान दिया |  
माँ के वचन को रख सर माथे  
चल दी वो ससुराल में |  
फिर किस्मत ने न जाने साथ क्यों छोड़ा  
पड़ गई वो बुरे हाल में |  
कुछ ही दिन तो बीते थे  
सब अपने रंग दिखाने लगे,  
मुख से मीठे ससुराल वाले  
उसको थे सताने लगे,  
नई नई फरमाइशों के  
थे अम्बार लगाने लगे |  
फिर भी न शिकायत की उसने  
कभी एक लफ्ज न बोली,  
जख्मों से भरा शरीर था,  
पर अपनी हिम्मत से नहीं डोली |  
हृद बढ़ गई थी अब लोभियों की,  
उसे पीट के भी जब दिल न भरा,  
कर दिया उसे हवाले आग के,  
फिर भी पापी न कोई डरा |  
जिसे डर लगता था धूप से वो  
चीखें थी आग में मार रही,  
आके बचा ले बाबुल मुझको  
जलती आग में थी वो पुकार रही |  
कोई बता दे क्या खता थी उसकी,  
वो तो मूरत इक प्यारी थी,  
बेबस हो गई थी आग में जो  
कभी किसी से न हारी थी |  
कहाँ रहेंगी महफूज बेटियां  
ऐ खुदा तू कोई इंतजाम कर दे,  
मिल जाए आजादी उन्हें,  
ऐसा कोई कलाम कर दे |  
ख़त्म कर दे ऐसे रिवाजों को जो  
बेटियों को हैं तंग करते,  
वरना है यही गुजारिश कि  
तू बेटियों का पैदा होना ही बंद कर दे ॥ ॥



दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि दहेज़ हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, परन्तु अभिशाप होने के बावजूद यह समाज में आज भी पूरी तरह व्याप्त है। हर लड़की के माता – पिता उसके जन्म के बाद से ही उसकी शादी के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं एवं ऐसा करने के बावजूद उन्हें कई बार बैंक से या रिश्तेदारों से कर्ज भी लेना पड़ता है। इतना ही नहीं दहेज़ की पूरी रकम अदा करने के बाद भी लड़कियों के साथ हिंसा एवं अत्याचार किया जाना कोई नई बात नहीं है। बदलते समय के साथ दहेज़ आज के पढ़े लिखे समाज के लिए भी एक प्रतियोगिता जैसा हो गया है जहाँ हर कोई दूसरे को हराना चाहता है। यह अत्यंत दुःख की बात है कि भारत में लोगों द्वारा दहेज़ प्रणाली के दुष्प्रभावों को पूरी तरह से समझने के बाद भी यह जारी है एवं दहेज़ लेना आज भी एक गौरव की बात समझी जाती है तथा सरकार द्वारा दहेज़ को एक दंडनीय अपराध घोषित करने के बाद भी पूरी तरह बरकरार है।

इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दहेज़ लोभियों के खिलाफ खड़े हों एवं ऐसी शादियों का बहिष्कार करें जहाँ दहेज़ लिया गया हो।

“दहेज़ न लेकर देखें, अच्छा लगेगा” ॥

\*\*\*\*\*



अजय कुमार

सहायक

## खजाने की खोज

एक गाँव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और चार लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपना पेट पालता था। लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे। वे गाँव में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते थे।

एक बार रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं की है और न ही ये कभी खेत में गए हैं। पत्नी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि धीरे-धीरे ये भी काम करने लगेंगे।

समय बीतता गया। रामलाल के लड़कों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे वैसे ही इधर उधर भटकते रहते। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति धीरे धीरे गंभीर होने लगी। उसे चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। अपना अंत समय जान उसने अपनी पत्नी को सभी लड़कों को बुलाने को कहा। पत्नी उन्हें बुलाकर लाई। रामलाल ने उनसे कहा “बच्चों, लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है, वह खजाना अपने खेत के नीचे दबा रखा है। मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग उसे निकलकर आपस में बाँट लेना।” यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए।

कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद चारों लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया। लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नजर नहीं आया। उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। माँ ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही खेत और घर ही कमाया है, लेकिन अब जब खेत खुद ही गया है तो उसमें बीज भी बो दो।

इसके बाद लड़कों ने बीज बो दिए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते रहे। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई जिसको बेचकर बच्चों को अच्छा मुनाफा हुआ। इसे लेकर वे अपनी अपनी माँ के पास पहुंचे। मान ने उन्हें समझाया कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते थे।

(सीख: हमें आलस्य को त्यागकर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इन्सान की असली दौलत है।)

\*\*\*\*\*

## घाव

मालविका  
क० अनुवाद अधिकारी



यादों के दर्पण पर तो अब,  
समय की धूल जमती ही नहीं है....  
जाने कितने ग्रीष्म बीत गए,  
फिर भी सारे जख्म हरे हैं....

समय का मरहम भी काम न आया,  
घाव सदा रिसते रहते हैं....  
हर बीतता पल इसे कुरेदे,  
घाव सभी गहराते जाते....

मन के घावों का मवाद अब,  
आत्माओं को सड़ा रहा है....  
आत्माओं का सड़ांध देखो,  
सबके नथुनों में भरा है....  
दया करो प्रभु अब तो भर दो,  
रिसते घाव सभी के....

क्षमादान को भूल मनुज तुम,  
यादों के दास बने फिरते हो.  
क्षमा वरो हे मनुपुत्र,  
आत्मा के सारे घाव भरेंगे.  
धरती पर रहकर ही फिर तुम,  
परमतत्व पा जाओगे.

\*\*\*\*\*





**राजभाषा पखवाड़े के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता -वर्ष 2020**

	क्रम सं.	नाम और पदनाम	प्रतियोगिता/पुरस्कार	राशि
हिंदी निबंध प्रतियोगिता	1	श्री अमरदीप चंद्रवंशी, सहायक	प्रथम (हिंदी भाषी)	₹1800/-
	2	श्री अश्वनी कुमार, प्र०श्रे०लिपिक	द्वितीय (हिंदी भाषी)	₹1500/-
	3	श्री शिव सुन्दर चौधरी, अ०श्रे०लिपिक	तृतीय (हिंदी भाषी)	₹1200/-
	4	श्री संजीव कुमार, प्र०श्रे०लिपिक	प्रोत्साहन	₹500/-
	5	सुश्री शालिनी कुमारी, प्र०श्रे०लिपिक	प्रोत्साहन	₹500/-
हिंदी टिप्पण/ आलेखन प्रतियोगिता	1	श्री अश्वनी कुमार, प्र०श्रे०लिपिक	प्रथम (हिंदी भाषी)	₹1800/-
	2	श्री शिव सुन्दर चौधरी, अ०श्रे०लिपिक	द्वितीय (हिंदी भाषी)	₹1500/-
	3	श्री उमेश कुमार, प्र०श्रे०लिपिक	तृतीय (हिंदी भाषी)	₹1200/-
	4	श्री पंकज कुमार, ब०का०कार्मिक	प्रोत्साहन	₹500/-
	5	श्रीमती अमृता सिन्हा, प्र०श्रे०लिपिक	प्रोत्साहन	₹500/-
हिंदी वाक् प्रतियोगिता	1	श्री रामानुज तिवारी, प्र०श्रे०लिपिक	प्रथम (हिंदी भाषी)	₹1800/-
	2	श्री संजीव कुमार, प्र०श्रे०लिपिक	द्वितीय (हिंदी भाषी)	₹1500/-
	3	श्री अश्वनी कुमार, प्र०श्रे०लिपिक	तृतीय (हिंदी भाषी)	₹1200/-
	4	श्रीमती रीना कुमारी, ब०का०कार्मिक	प्रोत्साहन	₹500/-
	5	श्री शिव सुन्दर चौधरी, अ०श्रे०लिपिक	प्रोत्साहन	₹500/-
	6	श्री शंकर भट्टाचार्य, अ०श्रे०लिपिक	द्वितीय (हिंदीतर भाषी)	₹1500/-
राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता	1	श्रीमती अमृता सिन्हा, प्र०श्रे०लिपिक	प्रथम (हिंदी भाषी)	₹1800/-
	2	श्री अश्वनी कुमार, प्र०श्रे०लिपिक	द्वितीय (हिंदी भाषी)	₹1500/-
	3	श्री उमेश कुमार, प्र०श्रे०लिपिक	तृतीय (हिंदी भाषी)	₹1200/-
	4	श्री शिव सुन्दर चौधरी, अ०श्रे०लिपिक	प्रोत्साहन	₹500/-
	5	श्री अमरदीप चंद्रवंशी, सहायक	प्रोत्साहन	₹500/-

## बहुत याद आते हो तुम



जागृति सिन्हा

कैसे बताऊँ तुम्हें कि कितना याद आते हो तुम . . . .  
वो बारिश के मौसम में गीली मिट्टी की खुशबू सा  
वो लहरों के किनारे की ठंडी हवा सा  
वसंत के मौसम में आए नए पत्तों सा  
रातों में आनेवाली सुकून की नींद सा .

कैसे बताऊँ तुम्हें कि कितना याद आते हो तुम . . . .

वो खुली आँखों के ख्वाब सा  
शाम ढलने के बाद की रौशनी सा  
वो देर रात की खामोशियों सा  
हम दोनों की अधूरी बातों सा

कैसे बताऊँ तुम्हें कि कितना याद आते हो तुम . . . .  
कुछ इस तरह से मुझे याद आते हो तुम ।

\*\*\*\*\*





## गरीबी उन्मूलन

रमेश प्रसाद गुप्ता

सहायक

आज अखबार में मैंने पढ़ा।  
जमीन का भाव फिर से बढ़ा।।  
और इधर गरीबी तेजी से बढ़ी।  
दसवें मंजिल से बीसवें मंजिल पर चढ़ी।।  
गरीब हो गए हैरान, हो गए परेशान।  
पता चला उनकी हैरानी की वजह मात्र इतनी थी।  
कहीं धरती पर पाँव रखने की भी कीमत तो नहीं बढ़ी।।  
जिस जमीन का रेट था सवा लाख।  
वह बढ़कर कर रहे थे उनके हाथ खाक।।  
आजादी के 69वें वर्ष भी  
गरीब वहीँ का वहीँ है खड़ा  
और बेहाल, फटेहाल, परेशान पड़ा।।  
अखबारों, टी.वी. चैनलों से खबर मिलती है,  
भारत सरकार की है यह योजना।  
इस साल पंद्रह हजार इंदिरा आवास बनाया जाएगा।  
पर मैं पूछता हूँ क्या यह गरीबों को मिल पाएगा।  
विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ हर चुनाव में हैं चिल्लाती  
मेरी सरकार बनाने पर  
राज्य के हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा।  
पर इसके लिए धन कहाँ से आएगा।  
कुछ तो करते हैं दावा  
देश में गरीबों/बेघर को घर दिया जाएगा।  
गरीबी को जड़ से मिटा दिया जाएगा।  
पर मेरी बुद्धि कुछ समझ गई,  
एक आशंका पर अटक गई।  
कि 2020 तक सारे गरीब कागजों पर मारे जाएंगे।  
और स्वतः ही चहुँ ओर अमीर ही अमीर नजर आएँगे।

\*\*\*\*\*

## अनुभूति



जयंत कुमार  
सहायक निदेशक

यह कोई कहानी नहीं है और न ही कोई काल्पनिक घटना है। यह एक ऐसी सुखद अनुभूति है जिसका अहसास आपको अपने किए गए कार्य से होता है जैसे किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति, परिवार या बेसहारा लोगों की मदद करना। ऐसी अनुभूति आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कार्य करने से भी प्राप्त हो सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन कार्यरत स्वायत्त संस्थान है।

हमेशा कहा जाता है कि परोपकार करें, गरीबों की मदद करें। ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। इस जीवन में सब कुछ नश्वर है। आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं केवल आपके द्वारा किए गए कार्य ही आपके साथ जाएंगे। सरे जमीं, जायदाद, धन-दौलत, गाड़ी, बंगला सभी इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल आपके द्वारा किया गया पुण्य कार्य जिसमें उन बेसहारा व्यक्तियों की मदद करना भी शामिल है जिस पर कोई विपत्ति आ पड़ी हो।

इसी क्रम में मैं अपना एक अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। यह उस समय की घटना है जब मैंने पहली बार किसी ऐसे परिवार की मदद की जिसे कोई देखनेवाला नहीं था। उस अभागन महिला का कोई सहारा नहीं था। जिस कंपनी में महिला का पति कार्य करता था, वहां कोई दुर्घटना घटी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उस कंपनी में कार्य करने वालों ने उसके लिए दो मिनट का मौन रखा और सभी कर्मचारियों ने अपनी ओर से कुछ मदद भी की। पर जिस परिवार का एकमात्र कमानेवाला सदस्य गुजर गया हो उसके लिए इस छोटी सी मदद से क्या होनेवाला था। इस मदद की राशि, जो कि कुछ हजार रुपये थी, कुछ ही महीनों में खत्म हो गई क्योंकि कमाने वाला कोई व्यक्ति तो था नहीं। घर पर दो बच्चे थे जो पढाई कर रहे थे। इसके अतिरिक्त घर के भी खर्च कम नहीं थे जैसे-किराया, बिजली, राशन आदि। इन छोटी छोटी जरूरतों में मदद की राशि कम पड़ने लगी।

इसी क्रम में कंपनी द्वारा भरे गए दुर्घटना रिपोर्ट को क्षेत्रीय कार्यालय ने रद्द कर दिया क्योंकि उस कामगार की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई थी। उस परिवार की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। किसी भी ओर से मदद की संभावना नजर नहीं आ रही थी। उसी समय कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय द्वारा अपनी वर्षगांठ पर निगम के समस्त कार्यालयों में सुविधा समागम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसमें इस पीड़ित महिला ने आवेदन दिया एवं उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। उस कामगार की दुर्घटना रिपोर्ट को मुख्यालय स्तर से स्वीकृत किया गया। उसे आश्रित हितलाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी।

इस तरह समय बीतता गया और परिस्थितियां बदलती गईं। पता चला कि जिस कामगार की मृत्यु उस कंपनी में हुई थी, उसने दो शादियाँ कर रखी थीं। एक तो कंपनी के दिए आवास में रहती थी जबकि दूसरी पत्नी गाँव में रहती थी। इस तरह के मामले बहुत पेचीदा होते हैं। उस परिवार की क्या स्थिति होगी जहाँ एक कमानेवाले व्यक्ति पर कई लोग निर्भर हों। मेरी मुलाकात केवल उस महिला से हुई जिसके दो बच्चे थे।



कार्यालय में हितलाभ की गणना की जा चुकी थी। लगभग एक लाख की राशि महिला एवं उसके बच्चे के खाते में भेजी गई एवं प्रतिमाह वेतन के हिसाब से पेंशन भी दिया जाना था। एक दिन वो महिला कार्यालय आई। उस अनपढ़ महिला को किसी ने समझा कर भेजा था कि साहब ने आपको पैसे दिए हैं, आप उन्हें मिठाई खाने को कुछ पैसे दे दीजिए। महिला मुझसे आकर मिली और आभार जताते हुए कहने लगी कि आपके आशीर्वाद से मुझे पैसा मिल गया। कुछ हिचकिचाहट के साथ मुझे कुछ पैसे देते हुए वह कहने लगी कि आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, आप सभी मिठाई खाइएगा। वह महिला यह नहीं समझ पा रही थी कि ये पैसे उसे उसके पति की मृत्यु पर मिले थे। परन्तु जब मैंने ये कहा कि आपके पति के मरने पर मिलने वाले पैसे से यदि मैं मिठाई खाऊंगा तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने उसे समझाया कि मुझे मेरे विभाग ने आप लोगों की मदद के लिए ही रखा है। मैं यह समझा ही रहा था कि वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी आपबीती सुनाने लगी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने बहुत कष्ट झेले थे एवं लोगों ने भी उसे बहुत सताया था। उसके पिछले लगभग एक वर्ष की कहानी सुनकर मुझे यह अहसास हुआ कि किसी परिवार के कमानेवाले सदस्य की असामयिक मृत्यु से उस परिवार की क्या स्थिति हो जाती है। ऐसे बिगड़ी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मदद करना एक अलग सी अनुभूति का अहसास करा रहा था। यह मदद मैं अपने विभाग के माध्यम से ही कर पाया। विपरीत परिस्थितियों में बीमित व्यक्तियों की मदद जैसे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इस संस्थान में कार्य कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था।

\*\*\*\*\*



**रोजगार छूटने का मतलब  
आय की हानि नहीं है,**

**ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक  
हानि या गैर - रोजगार चोट के कारण स्थायी  
अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए  
मासिक नकद राशि का भुगतान करता है।**

 **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**  
Ministry of Labour & Employment  
भारत सरकार (Government of India)  
@labourministry

 **कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
Employees' State Insurance Corporation  
(Ministry of Labour & Employment, Government of India)  
@esiorg



## ज़िंदगी

आकांक्षा

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी

जिन्दगी की दौड़ में रोज खुद से हारते, रोज खुद से जीतते हम ।  
रोज खुद को मनाते, खुद को कोसते हम ।

क्यूँ न जान सका ये मन, क्यूँ न मान सका ये मन  
है यही परीक्षा जीने की, है यही दीक्षा लेने की ।

लड़खड़ाने पर रोज खुद को संभालते, पर लोगों की भीड़ से भागते हम  
भागना रहा जिस निराशा से उसकी आशा बन रोज खुद को भुलाते हम ।


बनावटी दुनिया के आगोश में, रोज खुद को खींचते  
रोज खुद को मनाते, खुद को कोसते हम ।

झूठी होती मुस्कुराहटों को स्वीकारते, रोज खुद की पहचान मिटाते हम  
स्वार्थ को रोज जीते हुए, मतलब की पहचान बनाते हम ।

जिन्दगी की दौड़ में रोज खुद से हारते, रोज खुद से जीतते हम ।  
रोज खुद को मनाते, खुद को कोसते हम ।

अवसाद जो मिले रोज तो पत्नों पर उकेरते हम,  
भीगे जो पन्ने आंसुओं से, जिंदगी को शब्दों से सींचते हम ।

\*\*\*\*\*







स्वाति गुप्ता

हाय कोरोना

बहुत मुश्किल था मिलना आराम।  
इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लगाना पूर्णविराम।  
रोटी, कपड़ा और मकान में जिंदगी हो गयी थी आम।  
वक्त का कुछ पता न चलता कब सुबह हुई और कब शाम?  
सब कहते थे मिले थोड़ी फुर्सत, तो करे कोई और काम।  
खैर छोड़ो!  
जैसी भी थी जिंदगी खुश थे उससे इंसान  
पर यह क्या?  
घटना ऐसी घटी सब कुछ हो गया शांत।  
सोचा था क्या क्या सजाए थे कितने अरमान?  
जिन बाजारों में होती थी खूब तामझाम,  
आज वह भी हो गया शांत  
जिन सड़कों पर खूब लगता था जाम,  
आज वह भी है सुनसान।  
शहर हो या हो गाँव,  
पूरी दुनिया है आज वीरान।  
कैसा कहर ढा रही है प्रकृति  
सब रहे हैं जान।  
हमारी ही किए कराए का है यह महामारी अंजाम।  
रुक जाओ नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएगी जान,  
बरतो सावधानी नहीं तो चले जाओगे श्मशान।

\*\*\*\*\*





## ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ का चतुर्थ अंक

अनिल कुमार  
निजी सचिव

“काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या ‘शकुन्तला’।  
तत्रापि चतुर्थोऽंकः, तत्र श्लोकाचतुष्टयम्।।”

अर्थात् “काव्यों में नाटक रोचक होता है, उन नाटकों में ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ अतिरोचक है। उसमें भी चतुर्थ अंक अति लोकप्रिय है, वहां चार श्लोक हृदयस्पर्शी एवं मर्मस्पर्शी हैं।” प्रिय पाठक को ये चारों श्लोक इस कहानी की यात्रा में मोड़-मोड़ पर मिलेंगे, जहां आपलोग थोड़ी देर विश्राम (आत्मचिंतन) जरूर करेंगे और उस श्लोकार्थ के बारे में गंभीरता से सोचेंगे, यदि पढ़ने में हड़बड़ी न हो तो।

उपमा के अद्भुत कलाकार एवं प्रेमी-प्रेमिका के अंतर्मुखी विशेषज्ञ कहे जानेवाले महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत विश्वविख्यात हृदयस्पर्शी नाटक ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ एक अपूर्व एवं अनूठी रचना है, जिसके बारे में प्रख्यात शेक्सपियर महोदय का कहना है कि “जिन्होंने जीवन में कम-से-कम एक बार इस नाटक को नहीं पढ़ा, उनका जीवन साहित्यिक रूप से शत-प्रतिशत सफल नहीं कहा जा सकता है।”

आदरणीय पाठकगण गृहपत्रिका ‘संकल्प’ के पूर्वांक में क्रमशः नाटक का प्रथम अंक, द्वितीय अंक एवं तृतीय अंक का रसास्वादन किए होंगे, तत्पश्चात् पूर्व कथा को अपनी स्मरण-पटल पर रखते हुए अर्थात् पूर्व वृत्तांत को ताजा करते हुए अब चतुर्थ अंक का रसास्वादन किया जाय।

नाटक के चतुर्थ अंक का अतिसंक्षिप्त कथानक इस प्रकार है – महर्षि कण्व के आश्रम के उद्यान में पुष्प तोड़ती हुई शकुन्तला की प्रिय सखियां प्रियंवदा और अनसूया की आपसी बातचीत से मालूम पड़ता है कि शकुन्तला के साथ गान्धर्व विवाह और निर्विघ्न यज्ञ-रक्षा का कार्य समाप्त हो जाने के कारण ऋषियों से आज्ञा लेकर राजा दुष्यंत अपनी राजधानी को चले गए। प्रियंवदा और अनसूया आपस में बात करते हुए कहती हैं कि मेरी सखी शकुन्तला का स्मरण राजा दुष्यंत करेंगे या नहीं ? फिर वे कहती हैं कि “नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सुन्दर और सौम्य मूर्तियुक्त महापुरुष कर्म, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से रहित नहीं होते। हां, यह अवश्य चिंतनीय है कि महर्षि कण्व सोमतीर्थ से लौटेंगे तो शकुन्तला एवं दुष्यंत के गान्धर्व विवाह के बारे में जानेंगे तो क्या कहेंगे। वे अवश्य बहुत गुस्सा होंगे।” इसपर सखी अनसूया कहती है कि गुणवान एवं योग्य व्यक्ति को यदि कोई कन्या स्वीकार लेती है और वह व्यक्ति भी उस कन्या को स्वीकार ले तो उसके जीवन में इससे बढ़कर कुछ और नहीं होता है। यह स्थिति किसी कन्या के पिता के लिए भी सुखकर है। इसलिए इन दोनों के गान्धर्व विवाह से महर्षि कण्व बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि किसी कन्या को योग्य वर अपने आप मिल जाना एक दिव्य संयोग ही समझा जाता है। धर शकुन्तला भी राजा दुष्यंत की याद में रात दिन उनका चिंतन करती हुई वेतसलतामण्डप (जिस विशेष मंडप में शकुन्तला एवं दुष्यंत का प्रथम मिलन हुआ था) के पास ही रहती है। वह राजा दुष्यंत के बुलाने वाले दूत की प्रतीक्षा कर थक जाती है और हमेशा सोच में (विरह-वेदना) पड़ी रहती है।

इ शकुंतला दुष्यंत की याद में खोई ही हुई थी कि उसी क्षण प्रसिद्ध क्रोधी दुर्वासा ऋषि भिक्षा के लिए आश्रम में पहुंचे। उस समय वहां शकुंतला के अतिरिक्त कोई नहीं था। वे भिक्षा के लिए आवाज देते हैं, पर दुष्यंत के गंभीर चिंतन एवं विरह-वेदना के महासागर में डूबी हुई शकुंतला कुछ भी नहीं सुन पाती है। इससे महर्षि दुर्वासा आग-बबूला होकर शाप देते हुए क्रोध में शापित करते हुए कहते हैं — “हे कन्या, तुम जिस पुरुष की चिंता में इस तरह मग्न हो कि मेरी बात तक नहीं सुन पा रही हो, वह पुरुष समय आने पर तुम्हारे द्वारा बार-बार स्मरण दिलाने पर भी तुझे पहचान नहीं सकेगा।” इतना कहकर महर्षि दुर्वासा क्रोध में आश्रम से तेजी से चल देते हैं। महर्षि के इस हृदयविदारक शाप को सुनकर अनसूया और प्रियंवदा उनसे काफी अनुनय-विनय करती हैं कि “हे महर्षि, आपके महान तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्री के समान मेरी सखी उस शकुंतला का यह पहला ही अपराध है। इसलिए कृपया आप इसे क्षमा कर दें और इस शाप को समाप्त कर दें।” इसपर महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि “हे कन्या, मेरा वचन तो मिथ्या हो नहीं सकता, किन्तु कोई आभूषण आदि दिखाने से ही यह शाप अपने-आप छूट जाएगा।” ऐसा कहकर महर्षि तेजी से प्रस्थान कर जाते हैं।

शकुंतला की प्रिय सखियां प्रियंवदा एवं अनसूया उस समय इस दुःखद घटना को शकुंतला से नहीं बतायीं, केवल अपने ही तक सीमित रखीं और यह सोचकर पूर्णरूपेण आश्वस्त हो गयीं कि राजा दुष्यंत ने प्रस्थान करते समय स्वयं ही शकुंतला की ऊंगली में स्मृति-चिह्नस्वरूप अपने नाम अंकित एक स्वर्ण अंगूठी संयोगवश पहना दिया था, वही शाप का अंत करेगा।

शकुंतला की सखियां परेशान थीं कि आश्रम से राजा दुष्यंत को गए कितने दिन बीत गये, पर उन्होंने लंबी-लंबी दिलाशाएं दिलाकर जाने पर न तो कोई पत्रादि भेजा और न ही कोई संदेशवाहक ही पठाया, कहीं दुर्वासा ऋषि का शाप का असर तो नहीं है ?

इसी क्षण महर्षि कण्व सोमतीर्थ से वापस लौटते हैं। अनसूया और प्रियंवदा सहमी हुई हैं कि महर्षि कण्व शकुंतला और दुष्यंत के गान्धर्व विवाह के बारे में जानेंगे तो न जाने कितना गुस्सा होंगे। उन्हें यह बात बताने की हिम्मत कौन करे ? सौभाग्य से जब महर्षि कण्व ने आश्रम में प्रवेश करते ही यज्ञशाला को नमन किया, तब उनका तपोबल ने उनको दुष्यंत के साथ शकुंतला के गान्धर्व विवाह एवं तत्पश्चात् शकुंतला के गर्भवती होने की घटना से अवगत करा दिया। फिर महर्षि कण्व ने पालितपुत्री शकुंतला को गले से लगाकर उसके गान्धर्व विवाह की बात को अभिनन्दित करते हुए कहा — “हे पुत्री, बड़े हर्ष की बात है कि ध्रुवं से अवरुद्ध दृष्टि वाले यजमान के हाथ से भी छोड़ी हुई आहुति सौभाग्यवश अग्निकुंड में ही पड़ी, (दूसरे शब्दों में गलती से घी गिर गया तो संयोगवश दाल में ही गिरा।) अर्थात् आकर्षणवश असंतुलित होकर भी तुमने अपने को योग्य वर दुष्यन्त के ही हाथ में सौंपा है, इसलिए अब तेरे विषय में मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है। आज ही मैं तुम्हें ऋषियों की रक्षा में तेरे पति राजा दुष्यंत के घर पर ससम्मान भेजता हूं।” महर्षि कण्व अतिप्रसन्न हुए और शकुंतला का अभिनंदन करते हुए उन्होंने उस योग्य वर की प्राप्ति का अनुमोदन किया। बाद में शार्गरव एवं शारद्वत इन दो शिष्यों तथा वृद्धा तापसी गौतमी के साथ शकुंतला को दुष्यंत के पास हस्तिनापुर भेजने का आदेश देते हैं।



अब शकुंतला की विदाई की तैयारियां होने लगीं। सखियां उसके शरीर में अंगराग, हथेलियों पर मेंहदी, पैरों में महावर, चोटियों पर फूलों के गजरे, उरोजों पर फूलों के पुंकेसर/कोमल पंखुड़ियां, अधरों पर शबनम की फुहारें, केस-विन्यास पर कुछ रंगीन सूक्ष्म लताओं के लुभावने रेसे, ललाट पर रोलियां एवं कुमकुम आदि मांगलिक वस्तुएं लगाकर श्रृंगार कर रही हैं। पिता के घर छूटने की बात पर तत्काल शकुन्तला की आंखों से आंसुओं के कुछ बूंदें टपकने लगते हैं। यह देखकर दोनों सखियां उन्हें समझाते हुए कहती हैं, “हे सखी, इस मंगलयात्रा में तेरा रोना ठीक नहीं है।” ऐसा कहकर सखियां उसकी आंखों के आंसू पोंछने लगती हैं। अर्थात् शास्त्र के अनुसार शुभ समय में रोना अनिष्टकारक माना जाता है। (परंतु बेटी विदाई में इंसान की आंखों से आंसू की बूंदें न टपके, ऐसा हो ही नहीं सकता है।) मांगलिक रेशमीवस्त्र, विवाह, विदाई आदि के अवसर पर धारण किये जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग शकुन्तला के लिए तपोवन के वृक्षों से गहने मांगने गये थे, किंतु वनदेवियों ने भी शकुन्तला के प्रेम तथा महर्षि कण्व के प्रभाव से प्रसन्न होकर स्वयं ही गहने देने लगीं। उस समय

वनदेवियां तो नहीं दीख रही थीं, परंतु कलाई से हथेली तक नये-नये पल्लवों के समान लाल-लाल उनके हाथ दिखाई पड़े। इस प्रकार उस तपोवन के वृक्षों ने तो शकुन्तला के निमित्त वस्तुएं दे ही दीं।

महर्षि कण्व अपनी पालिता पुत्री की विदाई के समय अंतर्मन से द्रवित हो रहे हैं, उनकी धड़कन बढ़ गयी है और मन ही मन कह रहे हैं —

“यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया,  
कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्।  
वैकल्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः,  
पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविश्लेषदुःखैर्नवैः।।”

(यह श्लोक ‘तत्रश्लोकाचतुष्टयम्’ का पहला श्लोक है।)

अर्थात् “आज शकुन्तला अपने पति के घर जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कण्ठा से काफी व्याकुल हो रहा है और आंसुओं के भीतर ही भीतर रोकने से मेरा गला भी भर गया है। मेरे नेत्र भी चिन्ता एवं आंसू से जड़ीभूत होकर देखने में असमर्थ हो रहे हैं। यदि मेरे जैसा वनवासी वीतराग निस्पृह को भी मात्र पालित कन्या (महर्षि कण्व द्वारा शकुन्तला का सिर्फ पालन-पोषण किया गया था, वे जन्म नहीं दिए थे) के वियोग की कल्पना से ऐसी विफलता और घुटन हो रही है तो फिर बेचारे गृहस्थ सांसारिक लोग को अपने द्वारा जन्म दिए गए कन्या के अभिनव वियोग (प्रथम विदाई) के समय कितना दुःख होता होगा।” (प्रिय पाठकों, ज्ञातव्य हो कि महर्षि कण्व शकुन्तला का सिर्फ पालन-पोषण किए थे, जन्म किसी और ने दिया था। शकुन्तला को नवजात अवस्था में एक पक्षी महर्षि कण्व के आश्रम में लाकर छोड़ दिया था, जिसका जन्म एक अप्सरा ने दिया था, पिता का पता आज तक नहीं चल पाया।)

गौतमी शकुन्तला को महर्षि कण्व के सामने ले जाकर कहती हैं — “हे पुत्री, देख ये तुम्हारे पिता महर्षि कण्व हैं, जो आनंद प्रवाहित वात्सल्य दृष्टि से तुम्हें देख रहे हैं, इन्हें पैर स्पर्श कर प्रणाम करो।”



शकुन्तला द्वारा झुककर उनके पैर स्पर्श करते ही वीतराग महर्षि कण्व फफककर रो पड़े, उनके साथ-साथ उनके शिष्यमंडली भी रो पड़े। इस दृश्य से कण्व के आश्रम में करुणा की बरसात हो गयी। शकुन्तला की विदाई को देखकर आश्रम के पेड़-पौधे, पशु-पक्षी आदि से संयुक्त व सारा तपोवन जीवित प्राणी के समान विकल हो उठा। वृक्षों ने पत्ते गिरने के बहाने अश्रुधारा बहाई, मृग मुख में घास लिए चबाना बंद कर दिए। पक्षिगण अपनी मधुर गुंज बंद कर दिए। इस प्रकार समस्त आश्रमवासी स्तब्ध हो गये। महर्षि

कण्व शकुन्तला को आशीर्वाद देते हैं कि “हे पुत्री, जिस प्रकार प्रकाश का संबंध सूर्य से है, उसी प्रकार तुम्हारा संबंध महाराज दुष्यंत से हो, ऐसी कामना करता हूं।” महर्षि कण्व शकुन्तला को गले से लगाकर गंतव्य की ओर बढ़ते हुए वृक्षादि एवं पुष्पलताओं से करुण स्वर में कहते हैं —

“पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या  
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।  
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः  
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्॥”  
(यह श्लोक ‘तत्रश्लोकाचतुष्टयम्’ का दूसरा श्लोक है।)

“हे आश्रम के वृक्षों, पुष्पलताओं, जो शकुन्तला जल से तुम्हारा सिंचन किए बिना कभी भी स्वयं जल तक नहीं पीती थी, जो पत्र-पुष्पों के बने हुए आभूषणों की प्रिय अनुरागिणी होते हुए भी स्नेहवश तुम्हारे कोमल पत्तों तक को नहीं तोड़ती थी और जो तुम्हारे पहले-पहले फूल निकलने के समय अनेक उत्सव एवं आनंद मनाती थी, वही शकुन्तला आज अपने पति के घर जा रही है। आप सब उसे जाने की अनुमति दीजिए।” एक पुराने बरगद वृक्ष से विदाई लेते शकुन्तला कहती है कि “हे पितातुल्य बरगदवृक्ष, मैं बचपन में आपकी शाखाओं से लटकते हुए जड़ों को पकड़कर झूला झूलती थी और आप हमें अपनी पौत्री के समान झूला झुलाते थे, आज मैं आपसे विदा ले रही हूं, जाने अनुमति दीजिए।” बरगद एवं अन्य वृक्षादि स्वयं बोल तो नहीं सकते, पर उनकी शाखाओं पर विराजमान पक्षिगण के करुण आवाज एवं समवेत कलरव से इन वृक्षों ने शकुन्तला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि उन्होंने मधुर एवं मनोहर कोकिल का शब्द ही अपने उत्तर में उच्चारित किया है।

शकुन्तला अपनी सखियों से धीरे से कहती हैं — “हे सखी, यह सच्चाई है कि मैं अपने पति दुष्यंत को देखने के लिए उत्सुक हो रही हूं, परंतु चिरपरिचित आश्रम को छोड़ते हुए मुझे अत्यंत दुःख हो रहा है और मेरे पैर आगे की ओर नहीं उठ रहे हैं।” इसपर प्रियंवदा कहती है कि “हे सखि, इस आश्रम के वियोग से केवल तू ही दुःखी और व्याकुल नहीं हो रही हो, बल्कि तेरे इस वियोग के कारण इस आश्रम की भी बुरी दशा हो रही है, क्योंकि ये हिरण और हिरणियां मुख से कुशा के ग्रासों को भी छोड़कर दुःखित होकर खड़ी हैं, मोर तथा मोरनियां ने नाचना बंद कर दिया है और ये लताएं भी अपने पुराने पत्तों को छोड़ने के बहाने आंसू ही बहा रही हैं।” महर्षि कण्व कहते हैं कि “हे शकुन्तले उस वासंतीलता से भी अनुमति ले लो, क्योंकि वह तुम्हारी सहोदरा बहन के समान है। क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हें प्राप्त किया था, उसी दिन तुम्हारे ही नाम से इस वासंतीलता को लगाया (बोया) था। मैं तुम दोनों को बराबर का दर्जा देता हूं।” मृग के छोटे-छोटे बच्चे भी शकुन्तला के मार्ग रोक रहे हैं और उनकी साड़ी की पल्लू

को मुंह में लेकर आश्रम की ओर खींच रहे हैं। इस पर शकुंतला कहती है कि “हे मृगशावक, तुम मेरे साथ क्यों इस प्रकार प्रेम प्रदर्शित कर रहे हो। जिस प्रकार तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाने पर मैंने तुम्हें अपने अनुज जैसा पाला-पोसा था, उसी प्रकार मेरे ससुराल चले जाने पर मेरे पिताजी तुम्हारा पालन-पोषण करते रहेंगे। अतः हमें पतिघर जाने से न रोको, क्योंकि शास्त्रानुसार कन्या को पति घर जाना ही जाना है, तुमलोग मुझे इस तरह प्रेम दर्शाकर पति घर जाने से रोकोगे तो मैं ममतावश रो पड़ूंगी।” यह कहते हुए एकबार फिर शकुन्तला की आंखें आसुओं से डबडबा गयीं और आंखों में आंसू होने से मार्ग उबड़-खाबड़ दिखने लगे और शकुन्तला तिलमिलाने लगीं। इसपर महर्षि कण्व कहते हैं कि “हे पुत्री, तू रो मत, धैर्य धारण कर और चित्त को स्थिर कर सामने रास्ते को देखो। अतः रोना बंद कर और मार्ग देखकर चल।” शास्त्र के अनुसार किसी को विदा करते समय यदि मार्ग में जलाशय पड़ता हो तो उसे जलाशय तक ही छोड़ना चाहिए। अतः मार्गस्थ जलाशय के पास से कण्व सहित सभी आश्रमवासी लौट चलेंगे।

शकुन्तला को विदा करते समय महर्षि कण्व शकुन्तला को पति के घर तक छोड़ने जानेवाले अपने शिष्य शार्गरव को दुष्यंत के प्रति संदेश देते हुए कहते हैं —

“अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मन  
स्त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम्।  
सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया  
भग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः॥”  
(यह श्लोक ‘तत्रश्लोकाचतुष्टयम्’ का तीसरा श्लोक है।)

अर्थात् (हे शार्गरव, तुम मेरे ही शब्दों को दुष्यंत के पास मेरी ओर से संदेश देते हुए कहना —) “हे राजन, इन्द्रियनिग्रही (ब्रह्मचर्य) और तपस्यापरायण हमारी प्रतिष्ठा एवं मान-मर्यादा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तथा अपने उच्चकुल पौरववंश की ओर देखते हुए तथा अपने में शकुन्तला की बन्धु-बान्धवों से न करायी हुई स्वाभाविक इस अनिर्वचनीय विशिष्ट प्रेम प्रवृत्ति को भी देखते हुए इस शकुन्तला को अपनी और स्त्रियों के बराबर ही समझना, यही हमारा कहना है। इसे ही महारानी बनाना, यह मैं कदापि नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पति के विशेष स्नेह, अनुराग और महारानी पद की प्राप्ति तो पूर्णरूपेण अपने भाग्य के ही अधीन है। अतः उसके लिए हमारा कुछ भी कहना व्यर्थ होगा।” शार्गरव उन्हें आश्वस्त करते हैं कि ठीक है, मैं महाराज दुष्यंत को निवेदनपूर्वक आपकी ओर से यह संदेश सुना दूंगा।

आगे महर्षि कण्व अपनी पालिता पुत्री शकुन्तला को भी कुछ विशेष संदेश देते हुए कहते हैं कि

“शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने  
भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।  
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी  
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः॥  
(यह श्लोक ‘तत्रश्लोकाचतुष्टयम्’ का चौथा श्लोक है।)

अर्थात् “हे बेटी, तुम यहां से ससुराल पहुंचकर सास, ससुर आदि अपने बड़ों की तन्मयतापूर्वक सेवा करना, अपनी सौतों से अपनी प्रिय सखियों के समान व्यवहार करना, पति द्वारा किसी समय किसी कारणवश तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के वश में होकर अप्रसन्न न होना और विपरीत आचरण नहीं करना, अपने नौकर-चाकर या पति के बन्धु-बान्धवों के



प्रति सदा उदार रहना, राज्योचित सुखभोगों को पाकर भी कभी अभिमान न करना। इस प्रकार व्यवहार करने से स्त्रियां गृहस्वामिनी बन जाती हैं।” शकुंतला कहती हैं कि “हे पिता जिस प्रकार मलय प्रर्वत से अलग हुआ चंदन का वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार आपकी गोद से अलग होकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी।” इसपर महर्षि कण्व कहते हैं कि “हे पुत्री, तुम्हें ससुराल के बड़े-बड़े कार्यों से, पति की सेवा से, वहां के वैभव से, भावी नवजात पुत्र के लालन-पालन आदि से क्षणभर के लिए भी छुट्टी नहीं मिलेगी और तू मुझे शीघ्र ही भूल जाएगी। अतः तुम निःसंकोच जीवित रहेगी।”

मार्गस्थ जलाशय के पास से विदा लेते समय दोनों सखियां शकुंतला की छाती से लिपटकर कहती हैं कि “हे सखी, यदि किसी कारणवश दुष्यंत तुम्हें पहचानने में आना-कानी करेंगे तो उनके नाम से अंकित यह अंगूठी तू परिचय के लिए दिखला देना।” इसपर शकुंतला बुरी तरह घबरा जाती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या सखी ? सखियां महर्षि दुर्वासा के शाप को स्पष्ट नहीं बताती है और कहती है कि “यदि संयोगवश ऐसा हो जाए, तो उनके नाम अंकित अंगूठी दिखा देने से वे तुम्हें पहचान जाएंगे।”

महर्षि कण्व कहते हैं कि —

“अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः।

जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा।।”

“कन्यारूपी धन तो दूसरे का ही होता है। आज उसको उसके पाणिग्रहीता पति के पास भेजकर मैं उसी प्रकार प्रसन्नचित्त तथा चिन्तामुक्त हो गया हूं जिस प्रकार बहुत दिनों से अपने पास रखे हुए दूसरे का धरोहर को उसके मूल स्वामी को वापस सौंपकर मनुष्य प्रसन्न तथा चिन्ता मुक्त हो जाता है।”

पालितापुत्री शकुंतला की विदाई के अवसर पर महर्षि कण्व गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने की दृष्टि से शकुंतला को अनेक समयोचित उपदेश देते हैं और राजा दुष्यंत को शिष्यों द्वारा उत्तम कर्तव्योचित संदेश देकर जलाशय के पास से अनसूया और प्रियंवदा के साथ शकुंतला से शून्य आश्रम पर आकर कहते हैं कि “कन्या के जन्म से पिता को चिन्ता बनी रहती है कि इसे किस योग्य वर को दिया जाय। कन्यारूपी अमानत उसके योग्य अधिकारी को सौंपकर पिताओं का हृदय हल्का हो जाता है। आज शकुंतला को योग्य पति राजा दुष्यंत के पास भेज कर मेरा भी हृदय निर्मल हो गया है।”

\*\*\*\*\*





## भ्रूणहत्या

मालविका  
क० अनुवाद अधिकारी


जहाँ जननी ही जननीपीडक हो,  
उस कुल का भी क्या दीपक होगा?

जहाँ जन्म से पहले ममता का,  
वात्सल्य ही नित संहार करे,  
उस चौखट पर क्या शीश झुकेगा?

जहाँ कोख में पलती कन्या का,  
हो जनक पिता ही हत्यारा,  
अब वहीं समाज बोलो कैसे,  
मानव मूल्यों का पोषक होगा?

जहाँ धरती का भगवान चिकित्सक,  
ले स्वयं सुपारी कन्या भ्रूणों का,  
ऐसे दूषित तन और मन का,  
उस कलुषित, कुत्सित भूखंड का,  
क्या देव कभी उद्धार भी होगा?

\*\*\*\*\*





महानिदेशक अनुराधा प्रसाद जी द्वारा बिहटा अस्पताल का निरीक्षण

## मरीजों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू

बिहटा। विहटा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल एवं मेडिकल अस्पताल शुरू होने के बाद वहां आम मरीजों के लिए पटना सहित अन्य जगहों से बस सेवा की शुरुआत की गई है। संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने बताया कि ईसआई के लाभार्थी सहित आम लोगों की सुविधा के लिए मुख्यालय द्वारा सभी क्षेत्रों से निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र की सभी लाभार्थियों को इलाज के साथसाथ बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जाय। बताया जाता है कि आमजनों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने हेतु 330 बेड का अस्पताल और 100 सीट का मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू कर दिया गया है। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी तरह की जांच सेवा शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पटना से बस सेवा शुरू होने के बाद सभी लाभार्थियों को विहटा अस्पताल तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

## मुजफ्फरपुर में बनेगा 100 बेडों का इएसआई अस्पताल, मिली अनुमति

संवाददाता ▶ पटना

**कर्मचारी** राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर में 100 बेडों के इएसआई अस्पताल निर्माण करने की स्वीकृति दे दी है। यह अस्पताल स्वतंत्र रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा ही चलाया जायेगा। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर में अस्पताल खोले जाने के लिए आग्रह किया गया था, जिससे बाद यह केंद्र सरकार से इसकी



अनुमति मिल गयी है। श्रम विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर में इस अस्पताल के शुरू होने पर तिरहुत प्रमंडल के कर्मियों को बहुत लाभ मिलेगा।


उन्होंने कहा कि यह अस्पताल को एक बड़े अस्पताल के रूप में जाना जायेगा। इसके अलावा यहां सुविधा होने से नेपाल की सीमावर्ती जिले के लोग लाभान्वित होंगे एवं आसपास के जिलों के कर्मियों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उत्तरी बिहार के लोगों को खास कर तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में निवास करने वाले आमजनों को चिकित्सीय सुविधा मुहैया करायी जा सके।





स्निग्धा सिन्हा  
पुत्री - श्वेता सिन्हा






विन्दुवासनी शर्मा  
प्रवर श्रेणी लिपिक



ऋतिका वर्मा  
पुत्री - रामानुज वर्मा





धन्यवाद